उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999

(अधिनियम संख्या 10,1999)

और

प्रथम परिनियमावली 2002

The Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University ACT-1999

(Act No. 10 of 1999)

AND

First Statutes, 2002

First Edition : June, 2002

Second (Amended) Edition: January 2019

Published by Dr. Arun Kumar Gupta, Registrar, U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj. : Ph. (0532) 2447035
Printed by : Chandrakala Universal Pvt. Ltd. 42/7 Jawahar Lal Nehru Road Prayagraj 211002

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम 1999

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रारम्भिक, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा परिभाषाएं	1
2.	विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य	2
3.	विश्वविद्यालय की शक्तियां	2
4.	निरीक्षण तथा जाँच	5
5.	विश्वविद्यालय के अधिकारी गण	7
6.	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी	9
7.	परिनियम, अध्यादेश और विनियम	10
8.	वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	13
9.	लेखा और लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में	13
10.	अधिभार के सम्बन्ध में	13
11.	कर्मचारियों की सेवा शर्तें	14
12.	माध्यस्थल अधिकरण	14
13.	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	14
14.	विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद	14
15.	आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना	15
16.	रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना	15
17.	सदभाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	15
18.	विश्वविद्यालय के कर्मचारी वृन्द	15
19.	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति	15
20.	संक्रमण कालीन उपबन्ध	15
21.	धारा 4 में उल्लिखित अनुसूची	17

परिनियमावली, 2002

22.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा परिभाषाएँ	19
23.	कुलाधिपति की अन्य शक्तियां	19
24.	कुलपति की नियुक्ति	20
25.	कुलपति की पदावधि परिलब्धियाँ सेवा शर्तें	21
26.	कुलपति की अन्य शक्तियाँ और कृत्य	22
27.	प्रति-कुलपति, निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी	24
28.	कार्य-परिषद् का गठन	29
29.	पदावधि कार्यपरिषद की पदावधि शक्तियां और कृत्य	30

30.	विद्या-परिषद्	31
31.	योजना बोर्ड	32
32.	मान्यता बोर्ड	33
33.	विद्या शाखाएं	33
34.	वित्त समिति	37
35.	परीक्षा समिति	39
36.	विशेषज्ञ समितियाँ	40
37.	अनुशासनिक समिति	41
38.	विषय समिति	41
39.	विश्वविद्यालय के अध्यापक-अध्यापकों का वर्गीकरण	42
40.	विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अर्हता	42
41.	उपाचार्य की अर्हता	44
42.	आचार्य की अर्हता	45
43.	शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की सेवा के निबन्धन और शर्तें	46
44.	कैरियर अभिवर्द्धन स्कीम	50
45.	अध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)	51
46.	अध्यापक (चयन वेतनमान)	51
47.	उपाचार्य पदोन्नति	52
48.	आचार्य पदोन्नति	52
49.	अध्यापकों की ज्येष्ठता	56
50.	विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम	58
51.	अधिवर्षिता की आयु	60
52.	अन्य उपबन्ध	60
53.	कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें	61
54.	उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना	62
55.	उच्च शिक्षा की किसी संस्था की मान्यता के सम्बन्ध	63
56.	दीक्षांत समारोह	64
57.	अधिकार	64
58.	वार्षिक रिपोर्ट	67
59.	अध्यादेशों की विरचना	67
60.	विनियमों की विरचना	68
61.	विश्वविद्यालय के मृत्त कर्मचारियों के आश्रित का सेवा योजन	69
62.	परिशिष्ट 'क' अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र	70
63.	परिशिष्ट 'ख' अध्यापकों के लिए आचरण संहिता	71

नोट : उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 तथा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2002 का प्रकाशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी असाधारण गजट में क्रमशः दिनांक 17 मार्च, 1999 एवं 19 जनवरी 2002 को हुआ।

The Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act 1999

CONTENTS

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Preliminary Short Title & Commencement and Definitions	73
2.	The University and its objects	75
3.	Powers of the University	75
4.	Inspection and Inquiry	78
5.	Officers of the University	81
6.	Authorities of the University	84
7.	Statutes Ordinances and Regulations	85
8.	Annual Report	88
9.	Accounts and Audit	89
10.	Surcharge	89
11.	Conditions of Services of Employee	89
12.	Tribunal of arbitration	90
13.	Pension and Providentfund	90
14.	Disputes to the Institution of authorities and Bodies	90
15.	Filling of casual vacanies	90
16.	Proceeding of the University authorites or bodies not invalided by vacancies	91
17.	Protection of Action taken in good faith	91
18.	Staff of the University	91
19.	Power to Remove deficulties	91
20.	Transtutional Provision	92
21.	Schedule (Section 4)	93

FIRST STATUTES 2002

22.	Short Title & Commencement and Definitions	95
23.	Other powers of the Chancellor	96
24.	Appointment of vice Chancellor	97
25.	Terms of vice Chancellor Emoluments and	

other condition of service of vice chancellor 98
26. Other Powers and functions of vice chancellor 99
27. Pro-vice Chancellor, Director, Registrar, Examination Controller, finance officers and other officers 101
28. Constitution of Executive Council 107
29. Term of office powers and functions of Executive Council 109
30. Academic council 110
31. Planning Board 111
32. Board of Recognition 112
33. The School of Studies 112
34. Finance Committee 117
35. Examination Committee 118
36. Expert Committee 120
37. Disciplinary Committee 120
38. Subject committee 121
39. Teacher of the University—Classification of University Teachers 122
40. Qualification of Teacher in the University 122
41. Qualification of Reader 124
42. Qualification for Professors 125
43. Terms and condtions of Service of Teaching Staff 126
44. Career Advancement scheme 132
45. Lecturer (Senior Schele) 132
46. Lecturer (Selection Grade) 133
47. Reader (Promotion) 133
48. Professor (Promotion) 134
49. Seniority of the Teachers 138
50. Leave Rules for Teachers 141
51. Age of Superannuation 143
52. Other Provision 143
53. The Terms and condition of Service of employees (other than Teachers) 144
54. Conferment and withdrawl of degrees and diplomas 145
55. Recognition of an institution of the Higher Learning 146
56. Convocation 147

57. Surcharge 148
58. Annual Report 151
59. Framing of ordinances 151
60. Framing of Regulation 152
61. Employment of the dependent of deceased employees of the University 153
62. Appendix 'A' Form of Agreemnent with members of Teaching Staff of the University 154
63. Appendix 'B' Code of conduct for Teachers 156

Note— The Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act 1999 and the First Statutes 2002 of the University were published in Exta-Oridniary Gazette Published by the U. P. Govt. on March 17, 1999 and January 19, 2002 respectively.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1999]

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– यह अधिनियम **उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999** कहा जाएगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 26 मार्च, 1999 के सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-3, खण्ड (क) देखिये।]

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2– इस अधिनियम में,–

(क) "विद्या परिषद्" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् से है;

(ख) "मान्यता बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड से है;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था से है;

(घ) "दूर शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर-दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली से है;

(ङ) "वित्त समिति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(छ) "योजना बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड से है;

(ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(झ) "विद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र से है;

(ञ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है;

(ट) "विद्यार्थी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;

(ठ) "अध्ययन केन्द्र" का तात्पर्य विद्यार्थियों को सलाह देने, परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसी व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(ढ) "विश्वविद्यालय " का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से है;

अध्याय – दो

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय का स्थापना एवं निगमन

3– (1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय **प्रयागराज** में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।

(3) कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्यपरिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारक, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4– विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से अतिसंख्य जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनूसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

5– विश्वविद्यालय की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :–

(एक) ज्ञान, प्रौद्योगिकी वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान का व्यवस्थापन करना;

(दो) उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियां, उपाधि-पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं या मान्यताएं प्रदान करना;

(चार) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;

(छः) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिए आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से संबंधित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;

(आठ) प्रष्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;

(नौ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें;

(दस) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना या मान्यता देना;

(ग्यारह) शिक्षा सामग्री, जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य मृदु सामग्री है, तैयार करने के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) अध्यापकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठयक्रम, कर्मशालायें, विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(तेरह) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य स्थानों में

परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या आगतः विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(चौदह) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान तथा विकास की व्यवस्था करना;

(पन्द्रह) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सम्दान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;

(अट्ठारह) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित परिवर्तित अथवा निरस्त करना;

(उन्नीस) अध्यादेशों द्वारा नियत शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;

(बीस) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहितायें भी हैं अधिकथित करना;

(इक्कीस) उच्चतर विद्या या अध्ययन को किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(बाईस) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सके, नियुक्त करना;

(तेईस) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबधनों और शर्तों पर जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायं, मान्यता देना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए शर्त विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(पच्चीस) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण को अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

(छब्बीस) विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(सताईस) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो विहित की जाय राज्य में किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना;

परन्तु यह किसी भी महाविद्यालय को ऐसे विशेषाधिकार कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिये जायेंगे;

(अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषांगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हो।

शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग

6 – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी।

विश्वविद्यालय या सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना

7 – (1) विश्वविद्यालय वर्गों और पंथों का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय की स्त्रियों, या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय–तीन

निरीक्षण तथा जांच

निरीक्षण

8 – (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश दे विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी : महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा;

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में

ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी प्रस्तुत नहीं होगा, अभिवचन या कृत्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को समय पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने योग्य कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सलाह की संसूचना देगा।

(5) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे, उसे कार्य परिषद् द्वारा कृत या प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति की उपधारा (1) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निर्देश की और ऐसे निर्देश के अननुपालन या अनुपालन के सम्बन्ध में प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, विचार करने के पश्चात् यह काम हो कि कार्य परिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद को अधिक्रमित करते हुये कुलपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करे जिसके अन्तर्गत अधिक्रमित कार्य परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कुलाधिपति समय-समय पर

विनिर्दिष्ट करें इस अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर उससे अधिक्रमित कार्य परिषद् के सभी सदस्यों की जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9 – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) निदेशक;

(ङ) कुलसचिव;

(च) वित्त अधिकारी;

(छ) परीक्षा नियंत्रक, तथा

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

कुलाधिपति

10 – (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायं।

कुलपति

11–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिए और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसी कि विहित की जायं, नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा

और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अध्यादेश द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत्ते कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा;

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह विषय को कुलाधिपति को संदर्भित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा;

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य-परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन, ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं।

प्रति-कुलपति

12– प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जायगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जाय।

निदेशक

13– प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं।

कुल सचिव

14– (1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर दी जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं।

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

15– (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा; जो विहित किये जायं।

(2) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा;

परीक्षा नियंत्रक

16– (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायं।

(2) जब, किसी कारण से, परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तब परीक्षा नियंत्रक की सभी शक्तियां और कृत्यों का पालन कुल सचिव द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय, किया जायेगा।

अन्य अधिकारी

17– विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति उनकी उपलब्धियां शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायं।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) योजना बोर्ड;

(घ) मान्यता बोर्ड;

(ङ) अध्ययन केन्द्र;

(च) वित्त समिति;

(छ) परीक्षा समिति; और

(ज) ऐसे अन्य (प्राधिकारी जो) परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाये।

कार्य परिषद्

19–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी 'शक्तियां' एवं कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं।

विद्या परिषद्

20–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए; विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनको बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी को विहित किये जाये।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उनके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जायं।

योजना बोर्ड

21–(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा। जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को मानीटर करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

मान्यता बोर्ड

22–(1) मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं की विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्ययन केन्द्र

23–(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

वित्त समिति

24–वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अन्य प्राधिकारी

25–अन्य प्राधिकारियों का,जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्याय–छः

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

परिनियम

26–इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, और विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबंध किये जायेंगे :–

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां, और कृत्य, जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(ख) प्रति-कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;

(ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां और शक्तियां तथा कृत्य जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;

(घ) अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जायेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया;

(झ) महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को अनुदानों का आवंटन और संवितरण;

(ञ) वे शर्तें जो, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए पूरी की जाने के लिए अपेक्षित है;

(ट) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायं।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

27–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे;

(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय-समय पर बना सकेगी, या उपधारा

(1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी;

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकारी का प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया है।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्द्धन या किसी परिनियम में प्रंबोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उनकी अनुमति नहीं दे दी गई है।

(5) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगी, परिनियम में उपबन्ध करने हेतु निर्देशित और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश के कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, कुलाधिपति की अनुमति से, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगी या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगी।

अध्यादेश

28–(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायं।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध किये जायेंगे, अर्थात्–

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीसों, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित अर्हतायें, अध्यता वृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन, शर्तें और उनकी नियुक्ति भी है; और

(ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों का प्रबन्धन।

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।

विनियम

29–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत है।

अध्याय–सात

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

30–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाय।

(3) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा और लेखा फरीक्षा

31–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के परीक्षा अध्याधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायेगा।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा-परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य-परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणें पर कार्य-परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

32–(1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए अधिभार का देनदार

होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जायेगी।

अध्याय–आठ

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

33–(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी है लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा तथा ऐसी संविदा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।

माध्यस्थल अधिकरण

34–(1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा 33 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्देश आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन ऐक्ट, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायगा।

भविष्य एवं पेंशन निधियां

35–(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों और अध्यापकों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे।

(2) जहां किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय–नौ

प्रकीर्ण

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36–यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है। उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

37–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की कार्यवाही के लिए संरक्षण

39–कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस प्राधि नियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द

40–(1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द भी है, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय, नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायं।

अध्याय–दस

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

41–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

42–इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुल सचिव और प्रथम परीक्षा नियंत्रक, राज्य

सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और वे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तों से शासित होंगे ;

परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(ख) प्रथम कार्य परिषद् में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; और

(ग) (एक) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(दो) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का गजट में प्रकाशित किया जाना

43–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम गजट में प्रकाशित किया जायगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम अध्यादेश या विनियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे ये किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

44–(1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998, एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी। मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1–विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, भारत की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय साधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारण, के माध्यम से प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह :–

(क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थ-व्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनाएगा;

(ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधा रहित समूहों को जैसे वे समूह जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और अन्य ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने और अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच के लिए उपबंध करेगा।

(ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन अनुसंधान, खोज के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;

(घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में लचीली और मुक्त विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को नव पद्धति के लिए, उपबन्ध करेगा;

(ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक प्रणाली का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किये गये पाठों और अन्य मृदु-सामग्री का विस्तृत रूप से उपयोग कर के गण्यता के अन्तरण को और अध्यापन कर्मचारिवृन्द विनियम को प्रोत्साहित करके भारत शैक्षणिक पद्धति के सुधार के लिए योगदान देगा;

(च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी क्वालिटी में सुधार करके और जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करेगा;

(छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के

लिए उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;

(ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;

(झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा; और

(ञ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।

2–विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का और नई शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का, ऐसी उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हों, पूर्ण उपयोग करना।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रथम परिनियमावली, 2002

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.01–(1) यह परिनियमावली उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

1.02–(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में :–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 से हैं;

(ख) "अध्यापक की आयु" का तात्पर्य संबंधित अध्यापक के जन्म का दिनांक, जैसा कि उसके हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है, से लेकर संगणना के दिनांक तक संगणित अवधि से है;

(ग) "खण्ड" का तात्पर्य परिनियम के खण्ड से है, जिसमें उक्त पद आया हो;

(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(ङ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से है।

(2) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

अध्याय–दो

कुलाधिपति की अन्य शक्तियां

कुलाधिपति की अन्य शक्तियां [धारा 10 (चार)]

2.01–कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उन्हें धारा 36 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें।

2.02–निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा,–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि

की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3.01 से 3.05 के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात् में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियम अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।

2.03–यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

2.04–परिनियम 2.03 में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुये, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा परिनियम 3.08 के अधीन हकदार था।

कुलपति की नियुक्ति [धारा 11 (1)]

3.01–कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 2.02 या परिनियम 3.05 द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम परिनियम 3.02 के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

3.02–समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय से संबंधित न हो), जिसका निर्वाचन कार्य परिषद् द्वारा किया जाना है;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो; और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा;

परन्तु जहां कार्यपरिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहाँ कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्यपरिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम-निर्दिष्ट करेंगे।

3.03–परिनियम 3.07 के अधीन पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

3.04–जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है, अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह सीमित से परिनियमों के अनुसार नये नामों को सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

3.05–यदि समिति परिनियम 3.03 या परिनियम 3.04 में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेगा, जो परिनियम 3.03 के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

3.06–समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

कुलपति की पदावधि

3.07–कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें

3.08–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा

इस निमित्त अवधारित करे।

3.09–कुलपति अधिनियम की धारा 35(1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा :

परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।

3.10–जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, या जहां प्रतिकुलपति न हो, तो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

कुलपति की अन्य शक्तियां और कृत्य [धारा (11)]

3.11–कुलपति–

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित दिनांक को प्रारंभ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

3.12–कुलपति धारा 18 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

3.13–उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकारी होगा, किन्तु वह इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार न होगा।

3.14–कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 36 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसा सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों।

3.15–कुलपति को कार्य परिषद् योजना बोर्ड, विद्यापरिषद् वित्त-समिति तथा सभी अन्य सांविधिक समितियों के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

3.16–जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके,

तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरांत कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ठ या उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

3.17–परिनियम 3.16 में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं सकझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो।

3.18–कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

3.19–कुलपति,–

(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो कि विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिये आवश्यक समझे जायं, नियुक्त कर सकता है;

(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिये आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिये अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है:

(तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के किसी

कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उनके दक्षतापूर्वक कृत्य निष्पादन हेतु आवश्यक समझी जायं;

(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय–चार

प्रति-कुलपति, निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी

प्रति-कुलपति (धारा 12)

4.01–कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय की विद्या-शाखाओं के आचार्यों या निदेशकों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

4.02–प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन विद्या-शाखा के आचार्य या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

4.03–प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

4.04–प्रति-कुलपति, अध्यादेशों में यथा अधिकथित मानदेय प्राप्त करेगा।

4.05–प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति को सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपे तथा प्रत्यायोजित करे।

निदेशक (धारा 13)

4.06–प्रत्येक निदेशक, कार्य-परिषद् द्वारा निम्नलिखित की संस्तुति पर नियुक्त किया जाएगा:–

(एक) यदि नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में पहले से आचार्य है तो, कुलपति; और

(दो) यदि नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के बाहर से है, तो चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित दो विशेषज्ञ	सदस्य
(ग) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कार्य-परिषद् का एक सदस्य	सदस्य

4.07–प्रत्येक निदेशक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसे कि अध्यादेशों में अधिकथित किये जायं।

4.08–निदेशकों की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-

समय पर अवधारित की जायं।

4.09–निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग के लिये विहित है।

कुलसचिव (धारा 14)

4.10–कुल सचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कार्य-परिषद् कम से कम तीन व्यक्तियों के नाम संस्तुत करेगी जिसमें से एक व्यक्ति को राज्य सरकार कुलसचिव के पद पर नियुक्त करेगी।

परिलब्धियां

4.11–कुलसचिव की परिलब्धियां ऐसी होंगीं जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं।

अन्य शर्तें

4.12–कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) के अधीन बनाई गई उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

शक्तियां और कृत्य

4.13–कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य-परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।

4.14–कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न वह स्वीकार करेगा।

4.15–अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुल सचिव का अनुशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा, जो निम्नलिखित न हों:–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हां या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक हों;

(ग) पुस्तकालाध्यक्ष;

(घ) धारा 40 में निर्दिष्ट अन्य कर्मचारीगण;

(ङ) विश्वविद्यालय में लेखा और संपरीक्षा अनुभाग में अन्य कर्मचारीगण।

4.16–परिनियम 4.15 में निर्दिष्ट किसी आदेश में व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर परिनियम 5.50 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

4.17–अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगाः–

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो;

(ख) विभिन्न प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से बुलाने के लिये समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद्, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड के अधिकृत पत्र-व्यवहार का संचालन करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना अभिवचनों का सत्यापन करना।

4.18–(1) विश्वविद्यालय के लिये एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों, जो कि ज्येष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी से, निम्न पंक्ति का न होगा, में से की जाएगी। परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के ज्येष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम-निर्दिष्ट किसी एक विद्या-शाखा निदेशक द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति निर्दिष्ट करें।

वित्त अधिकारी के कृत्य

4.19–वित्त अधिकारी की शक्तियां और कृत्य निम्न प्रकार से होंगेः–

(क) कार्य-परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;

(ख) विश्वविद्यालयों के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना और अपने क्रिया-कलापों से संबंधित ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों;

(ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से विधियों को निकालना और वितरित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए;

(ङ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(ज) विश्वविंद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;

(झ) किसी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होने पर दे सकता है;

(ञ) नकद तथा बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत् दृष्टि रखना;

(ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करना और उसके लेखे रखना;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाफ की नियमित जांच की जाती है;

(ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं की सम्यक् परीक्षा करना और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;

(ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे, मांगना;

(ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक सम्परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की सम्परीक्षा प्रारम्भ में ही करना जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;

(त) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;

(थ) विश्वविद्यालय के लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा) से निम्न पंक्ति के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप-कुल सचिव, सहायक कुल सचिव (लेखा) और लेखाधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

4.20– यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक (धारा 16)

4.21–परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न होगा।

4.22–परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं।

4.23–परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये इस परिनियमावली द्वारा विहित की गई सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।

4.24–परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक्, अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या-शाखा या अध्ययन केन्द्र से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

4.25–परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रक रखेगा।

4.26–कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और

तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

4.27–परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न वह स्वीकार करेगा।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

कार्य-परिषद् का गठन (धारा 19)

5.01–कार्य-परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति — अध्यक्ष

(ख) प्रति-कुलपति (यदि कोई हो) — सदस्य

(ग) परिनियम 5.17 में उल्लिखित विद्या-शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक;

(घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्यः

(ङ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य;

(च) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक;

(छ) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं–

(एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद् — सदस्यगण

(दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति — सदस्यगण

(ज) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम-निर्देशिती जो प्रति-कुलपति से निम्न पंक्ति का न हो — सदस्य

(झ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो — सदस्य

5.02–कुलपति और प्रति-कुलपति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिए कार्य-परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

5.03–कार्य-परिषद् के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम-निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।

5.04–कार्य-परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य-परिषद् के कुल सदस्यों के

एक तिहाई द्वारा की जाएगी।

5.05–परिनियम 5.01 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

5.06–कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा में, "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भतीजा या भतीजी भी है।

पदावधि

5.07–पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

कार्य-परिषद् की शक्तियां और कृत्य

5.08–कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(चार) यथास्थिति, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;

(पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;

(छः) आगन्तुक प्राचार्यों, इमेरिटस आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना;

(सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को ऐसी प्रतिभूतियों में जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिये किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना;

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई कार्रवाई वित्त-समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।

(आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग के मध्य अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों; जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, की शिकायतों का विचारण, न्यायनिर्णीत करना, और शिकायतों को दूर करना;

(दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठयक्रम लेखकों, संविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;

(बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;

(तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के लिये बजट तैयार करना;

(पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिये कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस या प्रभार विहित करना।

विद्या परिषद् का गठन (धारा 20)

5.09–विद्या-परिषद् में निम्नलिखित होंगे:–

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) प्रति-कुलपति	सदस्य
(तीन) विद्या-शाखाओं के सभी निदेशकगण	सदस्य
(चार) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्रवक्ता	सदस्य
(पांच) पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
(छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य

(सात) ऐसी रीति में, जैसा विद्या-परिषद् उचित समझे,

सहयोजित किये जाने वाले शैक्षणिक ख्याति के पांच व्यक्ति सदस्य

(आठ) कुलसचिव सदस्य/सचिव

(2) बैठक की गणपूर्ति विद्या-परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।

(3) कुलपति और प्रति-कुलपति के सिवाय, विद्या-परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

विद्या-परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य

5.10–विद्या-परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

(ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य-परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना; और

(ग) सभी विद्या-संबंधी मामलों पर कार्य-परिषद् को परामर्श देना।

योजना बोर्ड का गठन (धारा 21)

5.11–योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) कुलपति अध्यक्ष ;

(दो) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग में से, ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार व्यक्ति ;

(तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र में से एक को लेते हुए अपनी विशेषज्ञता के लिये कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों–

(क) वाणिज्यिक प्रबंधन;

(ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां;

(ग) विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/ पर्यावरण;

(घ) दूरस्थ शिक्षा, और

(ङ) वाणिज्य और उद्योग।

5.12–योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

5.13–(क) कुलपति और प्रति-कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिये योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी जैसा वह समीचीन समझे किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक की गणापूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।

5.14–योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे, उसे कार्य-परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा; योजना बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

परन्तु किसी विषय पर विद्या-परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतविभिन्नता होने की दशा में उसे कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5.15–मान्यता बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :– मान्यता बोर्ड का गठन (धारा 22)

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) प्रति-कुलपति	सदस्य
(तीन) प्रत्येक विद्या शाखा का निदेशक	सदस्य
(चार) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये गये विद्या-परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
(पांच) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया योजना बोर्ड का एक सदस्य	सदस्य
(छः) कार्य-परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया कार्य-परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(सात) कुलसचिव	सदस्य/सचिव

5.16–मान्यता बोर्ड की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विद्या-परिषद् और कार्य-परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिये मानक अभिकथित करना;

(ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या-परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;

(घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि उसको विद्या-परिषद् द्वारा समनुदेशित किये जाएं।

5.17–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित विद्या-शाखाएं होंगी, अर्थात् :– विद्या शाखाएं (धारा 23)

1–मानविकी

2–समाज विज्ञान

3–विज्ञान

4–शिक्षा

5–अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी

6–प्रबंधन अध्ययन

7–स्वास्थ्य विज्ञान

8–कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान

9–ललित कला एवं संगीत को सम्मिलित करते हुए व्यावसायिक अध्ययन
(क) कृषि विज्ञान

10–ऐसी अन्य विद्या-शाखाएं जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझी जांयः

परन्तु कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित दिनांक से विद्या-शाखाएं कार्य करना आरम्भ करेंगी।

5.18–कार्य-परिषद् कुलपति की संस्तुति से विद्या-शाखाओं को एक या अधिक विषय सौंप सकती है जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।

बोर्ड का गठन

5.19–प्रत्येक विद्या-शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(क) विद्या-शाखा का निदेशक	अध्यक्ष
(ख) विद्या-शाखा के सभी आचार्य	सदस्य
(ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्रवक्ता	सदस्य

5.20–कुलपति और प्रति-कुलपति के सिवाय विद्या-शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

5.21–कुलपति और प्रति-कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमवर्ती अवधि के लिये विद्या-शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

5.22–विद्या-शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) विद्याशाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;

(दो) विद्या परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्याशाखा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम-ढांचे को अनुमोदित करना;

(तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ-समिति के परामर्श पर पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्य-विवरण का अनुमोदन;

(चार) विद्याशाखा को समनुदेशित विधाओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार

किये गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये, विद्याशाखा में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीक्षकों के नामों को कुलपति को संस्तुत करना;

(पांच) अन्य विद्याशाखाओं के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिये अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिये प्रस्ताव तैयार करना;

(छः) ट्यूटरों और परामर्शियों के लिये कार्यक्रमों/पुनश्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों के लिये प्रस्ताव तैयार करना;

(सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिये सामान्य अनुदेश तैयार करना;

(आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिये शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिये अपनायी गई कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;

(नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय-समय पर बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से, यदि आवश्यक हो तो, समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना जो अपेक्षित हों;

(दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिये सुविधाओं की कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;

(ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य-परिषद् विद्या परिषद् योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायं, और

(बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों, जो कि समय-समय पर विद्याशाखा द्वारा विनिश्चित की जायं, को निदेशक या बोर्ड के किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

5.23–मानविकी विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–

(1) संस्कृत और प्राकृत भाषा

(2) हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं

(3) अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं

(4) दर्शनशास्त्र

(5) मनोविज्ञान

(6) अर्थशास्त्र

(7) भाषा विज्ञान

(8) ओरियेन्टल अध्ययन

(9) पत्रकारिता एवं जनसंचार

(10) उर्दू

(11) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

5.24–समाज विज्ञान विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–

(1) राजनीति शास्त्र

(2) मानव विज्ञान

(3) प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विज्ञान

(4) मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास

(5) समाज विज्ञान

(6) समाज कार्य

(7) लोक प्रशासन

(8) भूगोल

5.25–विज्ञान विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाइयां होगी :–

(1) भौतिक विज्ञान

(2) रसायन विज्ञान

(3) जन्तु विज्ञान

(4) वनस्पति विज्ञान

(5) गणित

(6) कम्प्यूटर विज्ञान

(7) माइक्रो बायोलोजी

(8) सांख्यिकी

(9) बायो-कैमिस्ट्री

(10) फूड-टेक्नोलोजी

(11) गृह विज्ञान

5.26–शिक्षा विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाईयां होंगी :–

(1) शिक्षा

(2) प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा

5.27–अभियंत्रण एवं प्राविधि विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–

(1) सिविल अभियंत्रण
(2) यांत्रिक अभियंत्रण
(3) विद्युत अभियंत्रण
(4) इलेक्ट्रानिक्स
(5) कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण
(6) अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी

5.28–प्रबंधन अध्ययन विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–
(1) वाणिज्य
(2) प्योर एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स (विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र)
(3) व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन
(4) वित्तीय विश्लेषण एवं लेखा

5.29–स्वास्थ्य विज्ञान शाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–
(1) स्वास्थ्य शिक्षा
(2) न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइट्रेक्टिक्स
(3) परिचर्या एवं अर्थ-चिकित्सकीय सेवाएं

5.30–कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–
(1) कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं कम्प्यूटर अभियंत्रण
(2) सूचना प्रौद्योगिकी

5.31–व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाइयां होंगी :–
(1) फैशन डिजाइनिंग
(2) टेक्साइल डिजाइनिंग
(3) इन्टीरियर डिजाइनिंग
(4) इन्टीरियर डेकोरेशन
(5) वाणिज्यिक कला
(6) फोटोग्राफी

(क) कृषि विज्ञान विद्याशाखा में निम्नलिखित इकाइयाँ होंगी:–
(1) कृषि उत्पादन प्रणाली एवं प्रबन्धन
(2) पशुधन उत्पादन प्रणाली
(3) पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं मूल्य संवर्धन
(4) कृषि व्यवसाय प्रबन्धन
(5) प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन
(6) प्रसार एवं सामुदायिक विकास

5.32–वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–
(क) कुलपति — अध्यक्ष — वित्त समिति (धारा 24)

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नाम निर्देशि, जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य
(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो	सदस्य
(घ) प्रति-कुलपति	सदस्य
(ङ) कुलसचिव	सदस्य
(च) परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
(छ) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो	सदस्य
(ज) वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

5.33–वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

5.34–वित्त समिति, कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर आबद्धकर होगी।

शक्तियां और कृत्य

5.35–जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जायं, कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेंगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

5.36–यदि कार्य परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थाता बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद्, वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

5.37–वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5.38–वित्त समिति के सदस्यों को असहमतति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का

अधिकार होगा, यदि वे वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हों।

5.39–लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन होगा।

5.40–परीक्षा समिति में निम्नलिखित होंगे, परीक्षा समिति (धारा 18)

(एक) कुलपति	अध्यक्ष
(दो) प्रति कुलपति	सदस्य
(तीन) विद्याशाखाओं के सभी निदेशक	सदस्य
(चार) कार्य परिषद् का एक सदस्य जो उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य
(पांच) विद्या परिषद् का एक सदस्य	सदस्य
(छः) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद के दो सदस्य	सदस्य
(सात) परीक्षा नियंत्रक	सदस्य/सचिव

5.41–परीक्षा समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

5.42–परीक्षा समिति के अधिवेशन कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हो, बुलायें जायेंगे।

5.43–परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का संपादन करेगी, अर्थात् :–

(क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या परिषद को प्रस्तुत करना;

(ग) विद्या परिषद के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना;

(घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद से सिफारिश करना।

5.44–परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे।

5.45–इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति ने परिनियम 5.44 के अधीन इस निमित्त अपनी

शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परिक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की शक्ति होगी।

(ख) अन्य प्राधिकारी

5.46–एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे :–

5.47–प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा और जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य अध्ययन बोर्ड नीचे दिए गये हैं :–

(1) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) विद्या-शाखा के सभी आचार्य ;

(ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य ;

(ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;

(घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गए छः नामों के पैनल में से विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ।

परन्तु यदि यह अध्ययन बोर्ड या विद्यापरिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(2) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी :–

(क) विषय में प्रस्तावित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का निर्माण करना और उसे विद्या-शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिए सौंपना जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ख) विद्या-शाखा के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठयक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;

(ग) सात्रिक कार्यों के लिए परीक्षकों व अनुसीमकों का पैनल तैयार करना;

(घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण के माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूट्रीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना।

(ङ) विषय से सम्बन्धित कोई अन्य मामला जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

5.48–अध्ययन बोर्ड की प्रक्रिया विद्या-शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

विशेषज्ञ समितियां

5.49–(1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है जितनी वह उचित समझे और विषय वस्तु पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो विद्या-शाखा के बोर्ड के सदस्य न हों।

(2) इस परिनियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकती है।

(3) किसी परीक्षा समिति की प्रक्रिया विद्या-शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

अनुशासनिक समिति

5.50–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे :

परन्तु यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों के वर्गों पर विचार करने के लिये ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) जिस अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला विचाराधीन हो, वह कार्यवाही करने वाली किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(3) कार्य परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

(4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी अपील पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्कालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन या अनुध्यान हो;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।

(6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सकें।

विषय समिति

5.51– विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्या-शाखा के निदेशक की सहायता करेगी।

5.52–(1) विषय समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) विद्या-शाखा का निदेशक — अध्यक्ष

(ख) इकाई के समस्त आचार्य — सदस्य

(एक) किसी ऐसी इकाई में जहां कोई आचार्य न हो, इकाई के समस्त उपाचार्य — सदस्य

(दो) परन्तु किसी ऐसी इकाई में जहां आचार्य और उपाचार्य दोनों हों, वहां दो वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो उपाचार्य — सदस्य

(तीन) किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों वहां एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहां ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिये दो प्रध्यापक।

परन्तु यह और कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के सम्बन्ध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित विभागाध्यक्षों में सम्मिलित न हो, मामले के लिये विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

5.53–विद्या शाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) इकाई के अध्यापकों के मध्य शिक्षण कार्य के वितरण के सम्बन्ध में संस्तुतियां करना;

(ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया-कलापों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव प्रदान करना;

(ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना।

5.54–समिति का अधिवेशन कम से कम तीन माह में एक बार होगा। इस अधिवेशन का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायगा।

अध्याय–छः
विश्वविद्यालयों के अध्यापक

अध्यापकों का वर्गीकरण

6.01–विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

(1) आचार्य;

(2) उपाचार्य;

(3) प्राध्यापक

विश्वविद्यालय में अध्यापकों की अर्हता

6.02–प्राध्यापक के लिए–

(1) मानविकी की शाखा, सामाजिक विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखा

और प्रबन्ध अध्ययन की शाखा में, प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कीं स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख;

(2) शिक्षा शाखा में, प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि अर्थात् एम0 एड0 की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख;

(3) व्यावसायिक अध्ययन की शाखा में, प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक सहित या उसके समकक्ष श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख;

(4) उप परिनियम (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक एवं दृष्टिबाधित विकलांग जन अभ्यार्थियों के लिए सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि में न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत होगा।

(5) इस परिनियमावली के प्रयोजनों के लिए, प्राध्यापक पद के सम्बन्ध में उत्तम शैक्षणिक अभिलेख,–

(क) कोई अभ्यर्थी स्नातक की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक अवश्य प्राप्त किया हो, किन्तु सुसंगत विषय में पी-एच0 डी0 की उपाधि धारण करने वाला अभ्यर्थी 5 प्रतिशत अंक की छूट का हकदार होगा;

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, प्रबन्ध, इंजीनियरिंग और टेक्नोलाजी से भिन्न विषय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल ऐसे अभ्यर्थी पास होंगे जिन्होंने प्राध्यापक के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित अर्हता परीक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

या

जिसे 31 दिसम्बर, 1993 तक पी-एच0 डी0 की उपाधि प्रदान कर दी गयी हो;

या

जिसने 31 दिसम्बर, 1993 तक पी-एच0 डी0 की उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया हो;

या

जिसे 31 दिसम्बर, 1992 तक एम0 फिल0 की उपाधि प्रदान की गयी हो।

(ग) इंजीनियरिंग और टेक्नॉलाजी की शाखा, स्वास्थ्य विज्ञान की शाखा तथा कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना विज्ञान की शाखा में न्यूनतम अर्हता ऐसी होगी जो अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित की जाए।

(घ) शारीरिक एवं दृष्टिबाधित विकलांग जन को स्नातक स्तर पर निर्धारित अंक 50% के स्थान पर 45% होगा।

उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति

6.03–उपाचार्य के लिए–

(1) सभी शाखाओं में, स्वास्थ्य विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शाखाओं को छोड़ कर न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित होगी :–

(क) डाक्टरेट की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख और अनुसंधान कार्य या अध्यापन पद्धति में अभिनवीकरण या अध्यापन सामग्री के प्रकाशन में सक्रिय रूप से कार्यरत; और

(ख) अध्यापन या अनुसंधान कार्य (शोध उपाधि प्राप्त करने हेतु अवधि की गणना को छोड़ते हुए) पांच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष प्राध्यापक के रूप में या किसी समकक्ष स्थिति में कार्य करने का अनुभव।

(2) व्यावसायिक अध्ययन की शाखा में, विश्वविद्यालय में किसी उपाचार्य के पद के लिए न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित होगी :–

(क) सुसंगत विषय में प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और उत्तम शैक्षणिक अभिलेख; और

(ख) दो वर्ष का शोध अथवा वृत्तिक अथवा रचनात्मक कार्य अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशेष उपलब्धि या सम्बन्धित क्षेत्र में तीन वर्ष के शोध एवं वृत्तिक अनुभव के साथ या प्रतिष्ठित ख्याति के साथ उच्च कोटि का कलाकार;

या

सुसंगत विषय में उच्च प्रतिष्ठित वृत्तिक उपलब्धियों के साथ परम्परागत या वृत्तिक कलाकार; और

(ग) सुसंगत विषय में स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं में पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(3) इंजीनियरिंग और टेक्नालाजी की शाखा, स्वास्थ्य विज्ञान की शाखा तथा कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना विज्ञान की शाखा में, न्यूनतम अर्हता ऐसी होगी जो अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित की जाए।

6.04–ऐसा प्रख्यात विद्वान जिसकी प्रकाशित रचना उच्च कोटि की हो और विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से लगा हो तथा जिसे परास्नातक कक्षाओं में अध्ययन का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शन का अनुभव भी सम्मिलित है, हो; आचार्य के लिए

या

विषय का ख्यातिलब्ध मूर्धन्य विद्वान जिसने ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

6.05–कुलसचिव वर्ष के दौरान रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा। रिक्तियों का अवधारण

6.06–कुल सचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर रिक्तियां अधिसूचित करेगा। रिक्तियों का विज्ञापन

6.07–आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) प्रति-कुलपति	सदस्य
(ग) सम्बन्धित विद्या-शाखा का निदेशक	सदस्य
(घ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और दो विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए	सदस्य

6.08–चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी;

परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।

6.09–चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य न होगी जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।

6.10–यदि कार्य-परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार नहीं करती है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, अन्तिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

6.11–अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलाया जायेगा।

6.12–साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

6.13–(क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी को संस्तुत कर सकती है और स्वविवेक से उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।

(ख) चयन समिति यह संस्तुत कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

6.14–चयन समिति का अधिवेशन साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा। विशेष परिस्थितियों में कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से चयन समिति का अधिवेशन अन्यत्र किया जा सकता है।

6.15–चयन समिति के सदस्योंको अधिवेशन की सूचना जो पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जाएगी, नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायेगी।

6.16–अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनांक से की जायेगी, सूचना की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या तो रजिस्ट्री डाक द्वारा की जायेगी।

6.17–चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

6.18–चयन समिति की सिफारिश पर कार्य-परिषद् ऐसे आध्यापकों को जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पाँच वेतन वृद्धि अग्रिम रूप से दे सकती है। यदि किसी मामले में पाँच से अधिक अग्रिम वेतन वृद्धियां देनी आवश्यक हों तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्तें

6.19–परिनियम 3.19 के अधीन कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परिवीक्षा

6.20–(1) प्रत्येक अध्यापक 12 मास की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्य-परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक की अवधि बढ़ायी जाय। किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि को 24 मास से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा;

परन्तु कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुये परिवीक्षा अवधि की शर्तों का अधित्यजन कर सकती है;

परन्तु यह और कि यदि मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने में विफल रहती है तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी हो जायेगा।

स्थायीकरण

6.21–(क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुल सचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) कार्य-परिषद् परिनियम के अनुसार अध्यापक की नियुक्ति का स्थायीकरण कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकती है।

त्याग-पत्र

6.22–कोई अध्यापक लिखित में उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है।

परन्तु कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

वेतनमान

6.23–विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वही होगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

6.24–विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।

6.25–विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्त्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।

6.26–परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम 6.27 के उप-परिनियम (1) के खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायेगा।

6.27–(1) निम्नलिखित कारणों से अध्यापक को उसके पद से हटाया जा सकता है :–

(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण,

(ग) सेवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेईमानी,

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये

दोषसिद्ध;

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता;

(छ) अक्षमता;

(ज) पद की समाप्ति।

(2) परिनियम 6.22 में की गयी व्यवस्था के सिवाय कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तक तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो अवधि अधिक लम्बी हो) दी जायेगी या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;

परन्तु जहां विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी;

परन्तु यह और कि पक्षकार आपस के समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

6.28–परिनियम 6.24 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुल सचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।

6.29–(1) परिनियम 6.27 के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण से विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि अध्यापक को, उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और उसकी सूचना जिस आधार कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको–

(क) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का;

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे;

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय।

परन्तु कार्य-परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुये किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्य-परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर सम्बन्धित अध्यापक को सेवा से पद्च्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पद्च्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(4) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पद्च्युत करने या हटाने के बजाय तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक करके अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर सकती है।

6.30–(1) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 5.50 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 6.27 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायेगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाये, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को–

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में उसे 48 घन्टे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्ध के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिये, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरणः–ऊपर निर्दिष्ट 48 घन्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

(3) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-2 के भाग-2 के

अध्याय-8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

6.31–परिनियम 6.29 के उपखण्ड (2) या परिनियम 6.30 के उपखण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6.32–विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी कलेण्डर वर्ष में विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिये, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इसमें जो भी कम हो से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

6.33–इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी–

(क) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।

(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पर पर नहीं रह जायेगा।

(ग) कार्य-परिषद् दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जब कि ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिये विश्वविद्यालय में उपलब्ध होगाः

परन्तु जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

कैरियर अभिवर्धन (स्कीम)

6.34–विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिये पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिये पात्रता प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी0एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिये छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिये पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।

6.35–उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी0एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित रचना होगी।

6.36–कोई उपाचार्य जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो,

आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा।

6.37–प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 6.07 के अधीन किया जाएगा।

6.38–वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:– वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन

1–कुलपति	अध्यक्ष
2–सम्बन्धित विद्या-शाखा का निदेशक	सदस्य
3–विषय के दो विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य
4–सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सदस्य

6.39–कोई प्राध्यापक चयन प्रक्रिया के माध्यम से वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन के लिए पात्र होगा, यदि उसने :– प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)

(क) परिनियम 6.34 की अपेक्षा पूर्ण कर ली हो तथा

(ख) एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम और एक पुनश्चर्या में, जिसमें से प्रत्येक तीन से चार सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या समतुल्य कोटि के ऐसे अन्य उपयुक्त शिक्षा प्रगामी कार्यक्रम में, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित किया जाय, कार्यरत रहा हो:

परन्तु ऐसे प्राध्यापकों को, जिनके पास पी0एच0डी0 की उपाधि हो, एक पुनश्चर्या से छूट प्रदान की जाएगी, तथा

(ग) उसकी वार्षिक शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और कार्यांकन रिपोर्ट अविच्छिन्न रूप से संतोषप्रद रही हो।

6.40–ऐसे प्रवक्ताओं को, जिनके पास वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् पी0एच0डी0 की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना न हो, और जो विद्वता और अनुसंधान मानक न रखते हों किन्तु सीधी भर्ती द्वारा इस परिनियमावली में उपाचार्य के पद के लिए दिये गये अन्य मानदंड की पूर्ति करते हों और जिनके अध्यापन का अभिलेख अच्छा हो और जिन्होंने अधिमानतया, संस्था के निगमित जीवन, परीक्षा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न तरीकों से या विस्तार कार्यकलापों के माध्यम से योगदान किया हो और दो पुनश्चर्याओं को जिसमें से प्रत्येक कम से कम तीन से चार सप्ताह की अवधि की हो, पूरी कर ली हो, चयन वेतनमान में रखा जाएगा जो चयन समिति के उन्हीं सिफारिशों के अध्याधीन होगा जो उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए है। उन्हें प्राध्यापक चयन वेतनमान पदाभिहित किया जाएगा: प्राध्यापक (चयन वेतनमान)

परन्तु कोई प्राध्यापक, चयन वेतनमान, में पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने और

उपाचार्य के रूप में पदोन्नति के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति करने के पश्चात् स्वयं की नये सिरे से निर्धारण के लिए प्रस्तुत कर सकता है और यदि उपयुक्त पाया गया तो उसे उपाचार्य पद पर पदाभिहित किया जा सकता है।

उपाचार्य (पदोन्नति)

6.41–वरिष्ठ वेतनमान का कोई प्राध्यापक उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा, यदि उसने,–

(क) वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

(ख) पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त कर ली हो या उसके समकक्ष प्रकाशित रचना हो;

(ग) विद्वता और अनुसंधान के क्षेत्र में स्वमूल्यांकन अभिनिर्णायकों की रिपोर्ट प्रकाशनों की कोटि, शैक्षणिक, अभिनवीकरण नए पाठ्यक्रमों में और पाठ्यचर्याओं की अभिकल्पना और विस्तार कार्यक्रमों द्वारा यथासाक्ष्यित कतिपय ख्याति अर्जित की हो;

(घ) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन के पश्चात् दो पुनश्चर्याओं/ग्रीष्मकालीन संस्थानों में, जिसमें से प्रत्येक तीन से चार सप्ताह की अवधि का हो, भाग लिया हो या समतुल्य कोटि के ऐसे अन्य उपयुक्त शिक्षा प्रगामी कार्यक्रम में, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित किया जाय, कार्यरत रहा हो;

(ङ) उसकी वार्षिक शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और कार्यांकन रिपोर्ट अविच्छिन्न रूप से उत्तम रही हो।

चयन समिति का गठन

6.42–उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी जिसका गठन परिनियम 6.07 के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।

आचार्य(पदोन्नति)

6.43–(1) आचार्यों के स्वीकृत पद के अतिरिक्त, उपाचार्य के रूप में 8 वर्ष की सेवा के पश्चात् विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद से आचार्य के पद पर पदोन्नति की जा सकेगी।

(2) पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी को चाहिए कि वह स्वयं को निम्नलिखित के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें:–

(क) अविच्छिन्न रूप से उत्तम वार्षिक शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और कार्यांकन रिपोर्ट,

(ख) अनुसंधान योगदान, प्रकाशित पुस्तकें और रचनाएं। अध्यापक के (उसके द्वारा यथापरिभाषित) सर्वोत्तम तीन लिखित योगदानों को विश्वविद्यालय द्वारा विशेषज्ञों के पास चयन में आने के पूर्व पुनर्विलोकन के लिए प्रेषित किया जा सकता है। अभ्यर्थी को निम्नलिखित को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा:–

(क) उन संगोष्ठियों या सम्मेलनों के, जिनमें भाग लिया हो, प्रमाण-पत्र;

(ख) अध्यापन या शैक्षणिक वातावरण या संस्थागत निगमित जीवन में योगदानों का ब्यौरा,

(ग) विस्तार और क्षेत्रव्यापी कार्यकलापों का प्रणाम-पत्र;

स्पष्टीकरण :—ओरिएन्टेशन/पुनश्चर्या या ग्रीष्मकालीन संस्थानों में जिसमें से प्रत्येक कम से कम 3 या 4 सप्ताह की अवधि का हो, भागीदारी और अविछिन्न संतोषजनक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और कार्यांकन रिपोर्ट की, प्राध्यापक से प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) और प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) से प्राध्यापक चयन वेतनमान, में कैरिअर अभिवर्धन के लिए आज्ञापक आवश्यक होगीः—

इन पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की अपेक्षाएं निम्न प्रकार होगी।

(एक) प्राध्यापक से प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) के लिए एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। जो लोग बिना पी0एच0डी0 के हैं उनके लिए एक अतिरिक्त पुनश्चर्या पाठ्यक्रम करना अपेक्षित होगा।

(दो) प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) से प्राध्यापक चयन वेतनमान के लिए दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(तीन) ज्येष्ठ अध्यापक जैसे प्राध्यापक (चयन वेतनमान) और उपाचार्य अपनी उच्चतर स्तर पर पदोन्नति या चयन की एक अर्हता के रूप में अपने विषय क्षेत्र से सम्बन्धित दो संगोष्ठियों या सम्मेलन में भाग लेकर शोध पत्र प्रस्तुत करने का अथवा इस स्तर के एकेडिमक स्टाफ कालेज द्वारा प्रदान किये जाने वाले पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

6.44—(1) यदि पोषक संवर्ग में अपेक्षित वर्षों की संख्या यहां ऊपर नियत वर्षों की संख्या से कम होने से उन लोगों को कठिनाई उत्पन्न होती है जिन्होंने उक्त संवर्ग में पात्रता के लिए अपनी सम्पूर्ण सेवा में वर्षों की कुल संख्या से अधिक वर्ष पूर्ण कर लिए हों तो उन्हें, यदि चयन समिति द्वारा वर्षों की कुल संख्या को समायोजित करने के पश्चात् उपयुक्त पाया जाए, अगले उच्चतर संवर्ग में नियोजित किया जा सकता है।

(2) पोषक संवर्ग के प्रयोजनार्थ पिछली सेवा की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगीः—

किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या अन्य वैज्ञानिक संगठनों तथा सी0 एस0 आई0 आर0, आई0 सी0 ए0 आर0, डी0 आर0 डी0 ओ0, यू0 जी0 सी0, आई0 सी0 एस0 एस0 आर0, आई0 सी0 एच0 आर0 में बिना किसी व्यवधान के प्राध्यापक के रूप में या समकक्ष और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध वैज्ञानिक के रूप में पूर्ण सेवा की गणना वरिष्ठ वेतनमान या चयन वेतनमान में

प्राध्यापक के नियोजन के लिए की जायेगी परन्तु–

(एक) पद, प्राध्यापक के पद के वेतनमान के या श्रेणी के समकक्ष श्रेणियों का रहा हो;

(दो) पद के लिए अर्हताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राध्यापक के पद के लिए विहित अर्हताओं की अपेक्षा निम्नतर न रही हों;

(तीन) सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ने उचित माध्यम से आवेदन किया हो;

(चार) सम्बन्धित प्राध्यापक, प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अर्हताएं रखते हों;

(पांच) पद पर भर्ती विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या संस्थाओं की विनियमावली द्वारा यथा अधिकथित विहित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(छः) नियुक्ति, एक वर्ष से कम अवधि के लिए तदर्थ रूप से या अवकाश रिक्ति में न की गयी हो;

(सात) एक वर्ष से अधिक की अवधि की तदर्थ सेवा की गणना की जा सकती है यदि–

(क) तदर्थ सेवा एक वर्ष से अधिक अवधि की रही हो;

(ख) पदधारी की नियुक्ति सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गयी हो;

(ग) पदधारी का चयन बिना किसी व्यवधान के तदर्थ सेवा को जारी रखते हुए स्थायी पद पर किया गया हो।

6.45–विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो कैरियर अभिवर्धन या पदोन्नति के लिए पात्र हो, अपना आवेदन वार्षिक शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और कार्यांकन रिपोर्ट के साथ जिसमें उसके संतोषजनक कार्य के बारे में सूचना भी संलग्न होगी, तीन प्रतियों में विभागाध्यक्ष के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :–संतोषजनक कार्य का तात्पर्य, विश्वविद्यालय परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन विश्वविद्यालयों के किसी प्राध्यापक से अपेक्षित कार्य के संदर्भ में किये गये कार्य से होगा।

6.46–(1) परिनियम 6.07 के अधीन कैरियर अभिवर्धन/पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन अपेक्षित रूप से उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी।

(2) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य-परिषद् को विनिश्चय के लिये

प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य-परिषद संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य-परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य-परिषद संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

6.47–यदि कोई पदधारी प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतमान/उपाचार्य/आचार्य के पद पर पदोन्नति की संस्तुति हेतु उपयुक्त पाया जाता है, तो उन्हें अगला उच्चतर वेतनमान अर्हता के दिनांक से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया जायगा।

6.48–यदि पदधारी प्रथमतः परिनियम 6.47 के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचारित किया जायेगा जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसे द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाता है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।

6.49–उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

6.50–वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, जिसके पास उस समय यथाविहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.51–(1) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(2) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।

6.52–चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की 15 दिन से अन्यून की नोटिस, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषित होने के दिनांक से की जाएगी, दी जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी।

6.53–अभ्यर्थियों को, चयन समिति के अधिवेशन के पूर्व, कम से कम 15 दिन की नोटिस, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषित होने के दिनांक से की जाएगी, दी जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाएगी।

6.54–ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

(क) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान सम्बन्धित पदों पर कार्यरत पूर्णकालिक/विधिवत नियुक्त नियमित पद धारकों, जो यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करते हैं, को दिनांक 01-01-1996 से अनुमन्य होगा। ये पदधारक यू.जी.सी. की अर्हता धारित करने पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजना से आच्छादित होंगें।

(ख) विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष होगी।

अध्यापकों की ज्येष्ठता

6.55–इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.56–कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुये उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

6.57–विद्या-शाखा के निदेशकों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगाः

परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

6.58–विद्या-शाखा के विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगाः

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

6.59–विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगाः–

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;

(ख) एक ही संवर्ग में पारस्परिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;

परन्तु जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगीः

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति

द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत पद पर थी।

(ग) जब (उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पंक्ति या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) जब उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

6.60–जहाँ एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, तो ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगीः–

(i) आचार्यों की स्थिति में, उपाचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ii) उपाचार्यों की स्थिति में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(iii) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

6.61–जहाँ से एक अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायेगी।

6.62–(1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों की

योग्यता क्रम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 6.10 के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता क्रम अवधारित करेगी।

(2) ऐसे योग्यता-क्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना सम्बन्धित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

6.63–(1) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें स्वयं अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या-शाखाओं के निदेशक होंगे:

परन्तु ऐसे विद्या-शाखा, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, का निदेशक उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा:

परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चत करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये छुट्टी सम्बन्धी नियम

6.64–छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी :–

(क) आकस्मिक छुट्टी;

(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी;

(ग) कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी;

(घ) दीर्घ कालीन छुट्टी;

(ङ) असाधारण छुट्टी;

(च) प्रसूति एवं बाल्य देखभाल छुट्टी और

(छ) बीमारी की छुट्टी;

6.65- (1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक वर्ष में चौदह दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह

साधारणतया अवकाश के दिनों के साथ मिलायी नहीं जायेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

(2) विश्वविद्यालय में कार्यरत विकलांगजन कर्मचारियों को सामान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा आयोजित सम्मेलन/गोष्ठियों/प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के लिये एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 10 (दस) दिवसों से अनधिक विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य की जा सकेगी।

6.66–एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।

6.67–विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

6.68–किसी एक सत्र में एक मास के लिये दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिये दी जा सकती है:

परन्तु लम्बी बीमारी की स्थिति में, छुट्टी, कार्य परिषद् के विवेकानुसार छ; मास से अनाधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है:

परन्तु यह और ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अधिछात्रवृत्ति के लिये या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालय या किसी अभिकरण दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में कार्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसी अधिछात्रवृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

6.69–असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 6.33 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिये स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतन वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

(2) राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी

पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के फण्डामेन्टल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

6.70- (1) प्रसूति अवकाश एक स्थायी महिला कर्मचारी को उस अवधि के लिये दिया जा सकेगा जो 180 दिनों से अधिक न हो। यह अवकाश पूरे सेवा काल में दो बार लिया जा सकेगा। प्रसूति अवकाश एक महिला कर्मचारी को चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने पर निष्फल गर्भ (गर्भपात सहित) की स्थिति में उसके पूरे सेवा काल में अधिकतम 45 दिनों के लिए दिया जा सकेगा।

(2) महिला कर्मचारियों को उनके अवयस्क बच्चों की देखरेख हेतु दो वर्षों तक के लिये ''बाल्य देखभाल अवकाश'' प्रदान किया जा सकेगा। इस अवकाश का नियमन उन्हीं नियमों व शर्तों के अधीन होगा जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये समय-समय पर लागू होती है।

(3) इस छुट्टी के लागू होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

6.71–छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मानी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

6.72–किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृति की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण-पत्र मांगने के लिये सक्षम होगा।

6.73–दीर्घकालीन छुट्टी और असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

अधिवर्षिता की आयु

6.74–विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी।

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

6.75–विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति का दिनांक ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म दिनांक के ठीक पूर्व का दिनांक होगा।

अन्य उपबन्ध

6.76–इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट ''क'' और परिशिष्ट ''ख'' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत हुई समझी जायेगी।

6.77–परिनियम 6.27 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (ख), उप-खण्ड (ग), उप-खण्ड (घ) या उप-खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।

6.78–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बन्धित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दी जायेगी।

6.79–विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

6.80–जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा सकती है।

अध्याय–7

कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से भिन्न) की सेवा के निबन्धन और शर्तें [धारा-26(घ)]

7.01–विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।

7.02–(1) पुस्तकालयाध्यक्ष का चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे, की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे	सदस्य

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

7.03–पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जायें।

7.04–पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा

समय-समय पर अवधारित की जायें।

7.05–विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हों, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।

7.06–पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगाः

परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।

7.07–पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।

7.08–(1) अन्य अधिकारियों और शिक्षणेत्तर कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय–8

उपाधियों और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना [धारा 5 (चार)]

सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करना

8.01–(1) डाक्टर आफ लेटर्स (डी0लिट0) अथवा महामहोपाध्याय की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायेगी।

(2) डाक्टर आफ साइन्स (डी0एस-सी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विज्ञान अथवा टेक्नालॉजी की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और टेक्नालॉजी संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

(3) डाक्टर आफ लाज (एल0एल0डी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील, न्यायाधीश अथवा विधिवेत्ता, राजनयज्ञ हों अथवा जिन्होंने लोक कल्याण के लिये महत्वपूर्ण योगदान किया हो, प्रदान की जायेगी।

8.02–कार्य परिषद् स्वप्रेरण से अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जाय, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव

कुलाधिपत को पुष्टि के लिये प्रस्तुत कर सकती है;

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

8.03–विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिये कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए, अवसर दिया जायेगा। कुल सचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

8.04–सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

अध्याय-9

उच्च शिक्षा की किसी संस्था की मान्यता

[धारा 5 (बाईस)]

9.01–(1) कार्य-परिषद् द्वारा सम्बन्धित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति और विद्या परिषद् की संस्तुति के पश्चात् किसी संस्था को ऐसी संस्था के रूप में जहां अधिनियम की धारा 5 (दो) और (तीन) की अपेक्षाओं की पूर्ति में शोध कार्य किये जाय, संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी। इस प्रकार प्रदत्त मान्यता सम्बन्धित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा वापस ली जा सकती है।

(2) इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान की प्रबन्ध समिति–

(क) संस्था का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या दूसरा समकक्ष निकाय में, जिसका संविधान कार्य परिषद् को सूचित किया जायेगा, या

(ख) संस्था का अनुरक्षण करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा नियुक्त निदेशक में निहित होगी।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शोध कार्य का, निदेशक और संस्था के अन्य अध्यापकों, जो विश्वविद्यालय की डी0लिट0 या डी0एस-सी0 या एल0एलडी0 या डी0फिल0 उपाधियों हेतु मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक या सलाहकार हैं, द्वारा निर्देशन कार्य किया जायेगा।

(4) संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापक यदि वे ऐसे सहमत हों, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिये उच्च व्याख्यानमाला

प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक अर्हता रखता है और विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु संस्थान में शोध कार्य करने को इच्छुक हो, कुलसचिव को संस्था के निदेशक के माध्यम से आवेदन करेगा। इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना-पत्र अध्यादेशों के अन्तर्गत गठित शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, यदि समिति द्वारा अनुमोदित होता है तो आवेदक को ऐसे शुल्क जो अध्यादेशों में विहित हो, का भुगतान करने पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये अनुमत किया जायेगा।

अध्याय–10

दीक्षान्त समारोह [धारा 26(ट)]

10.01–(1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा कार्य परिषद इस निमित्त नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।

10.02–प्रत्येक संस्था या अध्ययन केन्द्र में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पुर्वानुमोदन से नियत करें, आरोपित किया जा सकता है।

10.03–दो या अधिक संस्था या अध्ययन केन्द्र के लिये संयुक्त दीक्षान्त समारोह परिनियम 10.02 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है।

10.04–इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

10.05–जहां विश्वविद्यालय या किसी संस्था या अध्ययन केन्द्रों को दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय–11

अधिभार (धारा 32)

11.01–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में–

(1) "परीक्षक का तात्पर्य" परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से है।

(2) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) "विश्वविद्यालय का अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) से (ज) तक के किसी भी खंड में उल्लिखित अधिकारी और इस परिनियमावली के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

11.02–(1) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता कि क्यों न वह ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिए ऐसी धनराशि के लिए जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्तियों को ऐसी अध्यापेक्षा के संसूचित किये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगाः

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी (1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिए अपेक्षित सूचना और समस्त सम्बन्धित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा और दिखाया जायेगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है।

(क) जहां व्यय इस परिनियमावली या अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है;

(ख) जहां हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्चतर टेण्डर स्वीकार करने से हुई हो;

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय किसी धनराशि का परिहार इस नियमावाली, अधिनियम इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो;

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो,

(ङ) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी को जिससे स्पष्टीकरण मांग गया हो, लिखित अध्यापेक्षा पर विश्वविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन-पत्र पर उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय की युक्तियुक्त अवधि बढ़ा सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित, अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों में नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण—अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों, अध्यादेशों का उल्लंघन करके की गई कोई नियुक्ति अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

11.03—विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो विचार करने के पश्चात् परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है:

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः देनदार होगा:

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

11.04—परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आयुक्त, निदेशक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

11.05—(1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा:

परन्तु यदि परिनियम 11.04 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त

कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये गये जाने योग्य होगी।

11.06–जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हों, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान किसी विलम्ब से न करे।

अध्याय–12

वार्षिक रिपोर्ट [धारा 30(2)]

12.01–अधिनियम की धारा 30 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिये विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायगी।

अध्याय–13

अध्यादेश और विनियम
(धारा–28 और धारा–29)

अध्यादेशों की विरचना

13.01–प्रथम के सिवाय समस्त अध्यादेशों को कार्य परिषद् द्वारा बनाया जायगा।

13.02–इस परिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या परिनियम 13.01 में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसिन कर सकेगी:–

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश बनाया, संशोधित या निरसित नहीं किया जाएगा :–

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश के लिये अग्रतर अर्हताओं को प्रभावित करें,

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्य-क्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध विद्या शाखा की प्रस्थापना के अनुसार न हो, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न

किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियां अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

13.03–कार्य परिषद् को परिनियम 13.02 के परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दे।

13.04–कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

13.05–कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद को परिनियम 13.02 के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

13.06–कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि परिनियम 13.02 के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस परिनियम के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियमों की विरचना

13.07–इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा–

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने,

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों को विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

13.08–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने की भी व्यवस्था की जाएगी।

13.09–कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या

उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाये, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगाः

परन्तु यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का समाधान किसी ऐसे निर्देश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे।

13.10–अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए विनियम सम्बन्धित विद्याशाखा के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगी।

13.11–विद्या परिषद् को परिनियम 13.10 के अधीन विद्याशाखा के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित। किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय–14

विश्वविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन

14.01–यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी स्थायी पद पर हो सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाये तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो विश्वविद्यालय में किसी रिक्त शिक्षणेत्तर पद के लिये आवेदन देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखता हो, कुलसचिव द्वारा कुलपति के पूर्वानुमोदन से चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण–इस परिनियम के प्रयोजन के लिये–

(1) "आश्रित" का तात्पर्य मृतक के पुत्र, उसकी अविवाहित या विधवा पुत्री, उसकी विधवा या विधुर से है;

(2) "कर्मचारी" के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापक भी हैं।

आज्ञा से,

सतीश कुमार अग्रवाल,

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट 'क'

(परिनियम 6.24 और 6.28 देखिये)

विश्वविद्यालय के अध्यापकवर्ग के सदस्यों के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक .....200... को श्री..... .....प्रथम पक्ष तथा.....विश्वविद्यालय (जिसे आगे 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया, एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है:-

1-विश्वविद्यालय एतदद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... को दिनांक.....से जब प्रथम, पक्ष का पक्षकार अपने पद के कर्तव्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा नियुक्ति स्वीकार करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने का वचन देता है जिनकी उससे अपेक्षा की जाय, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों की परीक्षण अनुशासन बनाये रखने और किसी पाठ्य-चर्या या नैवासिक कार्य कलाप के सम्बन्ध में छात्र-कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायं, तथा ऐसे अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करता है जिनके अधीन वह विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा:

परन्तु अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और कार्य परिषद स्वविवेकानुसार परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2-प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3-अध्यापक के पद का, जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त किया गया है, वेतनमान.....होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जबसे वह अपने उक्त कर्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में ..... रुपया प्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा और वह जब तक कि परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा।

4-प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसकी प्राधिकारिता के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किन्हीं परिनियमों, के अधीन हो, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेगा।

5-प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचारण संहिता का, जैसा कि समय-समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलने का वचन देता है।

6–किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तकें, साधित्र, अभिलेख और अन्य वस्तुयें, जो उसके कब्जे में हो, विश्वविद्यालय को दे देगा।

7–समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायेगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों और उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....

अध्यापक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व
करने वाले वित्त अधिकारी
के हस्ताक्षर

साक्षी

1. .....
2. .....

परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम 6.25 और 6.26 देखिये)

अध्यापकों के लिये आचरण संहिता

यतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतंत्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के संबंध में जो विश्वास उसमें निहित किया गया है उसके प्रति जागरूक हैं, उस अध्यापक से इस बात का अनुभव करने की आशा की जाती है कि वह नैतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका निर्वाह, समर्पण, नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म से पवित्रता की भावना से ओत प्रोत रहकर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है।

अतः उसकी वृत्ति की गरिमा के अनुरूप यह आचरण संहिता बनायी जाती है कि इसका पालन व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के आचरण में वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जायेः-

1-प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से करेगा।

2-कोई भी अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3-कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरुद्ध अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

4-कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धम, लिंग राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेदभाव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों में भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिए उपर्युक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5-कोई भी अध्यापक, विश्वविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं करेगा।

6-कोई भी अध्यापक, विश्वविद्यालय के कार्यकलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

7-कोई भी अध्यापक अन्य कोई रोजगार अंशकालिक गृहशिक्षण (ट्यूशन) तथा कोचिंग कक्षायें नहीं चलायेगा।

8-कक्षा शिक्षण अवधि के उपरान्त भी छात्रों को आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के उपलब्ध रहेंगे।

9-शैक्षिक कार्यक्रम पूरा कराने की दृष्टि से कोई भी अध्यापक जहां तक सम्भव हो पूर्व अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश लेगा।

10-निरन्तर अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का विकास करता रहेगा।

11-विश्वविद्यालय के शैक्षिक उत्तरदायित्व यथा प्रवेश, छात्रों को परामर्श एवं सहायता, परीक्षासंचालन, निरीक्षण, परिप्रेक्ष्य, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों में सहयोग प्रदान करेगा।

12-लोकतंत्र, देश भक्ति और शान्ति के आदर्शों के अनुरूप छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करेगा।

आज्ञा से,
बी० डी० जोशी,
संयुक्त सचिव

No. 747 (2)/XVII-V-1-2(KA) 31-1998
Dated Lucknow, March 24, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Mukta Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1999, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY ACT, 1999

(U.P. ACT No. 10 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for the establishment of an Open Universtiy in Uttar Pradesh for the introduction and promotion of distance education systems and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:–

CHAPTER – I
Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh RAJARSHI TANDON Open University Act, 1999. — Short title and commencement

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

2. In this Act :– — Definitions

(a) "Academic Council" and "Executive Council" mean respectively and Academic Council, and the Executive Council of the University :

(b) "Board of Recognition" means the Board of Recognition of the University;

(c) "College" means a college or other academic Institution established or maintained by, or admitted to the Privileges of the University;

(d) "distance education systems" means the systems of imparting education through any means of communication, such as broadcasting telecasting, correspondence course, seminars, contact programmes or the combination of any two or more of such means;

(e) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(f) "other backward classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time;

(g) "Planning Board" means the Planning Board of the University;

(h) "prescribed" means prescribed by the Statutes;

(i) "school" means a schools of studies of the University;

(j) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

(k) "student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;

(l) "study Centre" means a centre established, maintained or recognised by the university for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;

(m) "teacher" means a person employed for imparting instruction in the University for giving guidance or rendering assistance to students for pursuing any course of study of the University and includes a Principal or Director of a College;

(n) "University" means the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University estabilished under Section 3.

CHAPTER – II
The University and its Objects

Establishment and incoporation of the University

3. (1) There shall be established a University by the name of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University.

(2) The headquarters of the University shall be at Prayagraj and it may establish or maintain colleges or study centre at such other places in the State as it may deem fit.

(3) The Chancellor, Vice-Chancellor and the members of the Executive Council and the Academic Council for the time being holding office as such in the University, shall constitute a body corporate by the name of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon, Open University.

The Objects of the University

4. The University shall promote dissemination of learning and knowledge through distance education systems to a large segment of the population and shall, in organising its activities, have due regard to the objects specified in the schedule.

Powers of the University

5. The University shall have the following powers, namely :–

(i) to provide for instruction in such branches of konwledge, technology, vocations and professions as the University may determine from time to time and to make provision for research;

(ii) to plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas, certificates or for any other purpose;

(iii) to hold examinations and confer degrees, diplomas, certificates or other academic distinctions or recognitions on persons who have pursued a course of study or conducted research in the manner laid down by the Statutes and Ordinance;

(iv) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed;

(v) to determine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organised;

(vi) to institute professorships, readerships, lecturerships and other academic positions necessary for imparting instructions or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guidance, designing and delivery of course and evaluation of the work done by the students, and to appoint persons to such professorships, readerships, lecturerships and other academic positions;

(vii) to co-operate with, and seek the co-operation of other universities and institution of higher learning, professional bodies and organisations for such purposes as the University considers necessary;

(viii) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit.

(ix) to establish and maintain such regional centres as may be determined by the University from time to time;

(x) to establish, maintain or recognise Study Centres in the manner prescribed.

(xi) to provide or the preparation of instructional material, including films, cassettes, tapes, video cassettes and other softwares;

(xii) to organise the conduct refresher courses, workshop, seminars and other programmes for teachers, lessonwriters, evaluators and other academic staff;

(xiii) to recognise examinations of or periods of study, whether in full or part, at other universities, institutions or other places of higher learning as equivalent to examination or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any time;

(xiv) To make provision for research and development in educational technology and related matters;

(xv) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appoinments thereto;

(xvi) to receive benefactions donations and gifts and to acquire, hold, maintain and dispose of any property movable or immovable, including trust and Government property, for the purposes of the University;

(xvii) to borrow, with the approval of the State Government, whether on the security of the property of the University or otherwise, money for the purposes of University;

(xviii) to enter into, carry out, vary or cancel contracts,

(xix) to demand and receive such fees and other charges as may be laid down by the ordinances;

(xx) to provide, control and maintain discipline among the students and all categories of employees and to lay down the conditions of services of such employees, including their codes of conduct;

(xxi) to recognise any institution of higher learning or studies for such purposes as the University may determine and to withdraw such recognition;

(xxii) to appoint either on contract or otherwise Visiting Professors, Emeritus Professors consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(xxiii) to recognise persons working in the Universities, institutions or organisations as teachers of the University on such terms and conditions as may be laid down by the Ordinances;

(xxiv) to specify conditions for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other methods of testing;

(xxv) to make arrangements for the promotion of the general health and welfare of the employees;

(xxvi) to confer autonomous status on a college or a regional centre in the manner prescribed;

(xxvii) to admit to its privileges any college in the State subject to such conditions as may be prescribed;

provided that no college shall be so admitted except with the prior approval of the Chancellor;

(xxviii) to do all such acts as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the Objects of the University;

Territorial exercise of powers

6. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall in the exercise of its powers have Jurisdiction over the whole of Uttar Pradesh.

University open to all class and creeds

7. (1) The University shall be open to persons of either sex irrespective of class or creed, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University, or to hold any other office therein or admitted as a student in the University or to graduate there at, or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other backward classes.

CHAPTER – III
Inspection and Inquiry

Visitation

8. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the University or any college or study centre maintained by the University including

its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipments and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such college or study centre or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such college or such centre.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such;

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and any proceedings before him or them shall be deemed to be a judicail proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as

the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If authorities of the University do no, within a reasonalbe time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which such authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the authorities of the Universities shall comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

(8) Without prejudice to the provisions fo sub-section (6), if the Chancellor on consideration of any document or material referred, to in sub-section (7) is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation, order that in supersession of the said Executive Council, an *ad-hoc* Executive Council, consisting of the Vice-Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as the chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Executive Council, shall, for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify, exercise and perform all the powers and functions of the Executive Council under this Act.

(9) Upon an order being made under sub-section (8) the term of office of all members of the Executive Council superseded thereby, including ex-officio

members, shall cease and all such members shall vacate their offices as such.

CHAPTER – IV
(Officers of the University)

9. The following shall be the officers of the University: Officers of the University

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-Chancellor;

(c) the Pro-Vice-Chancellor;

(d) the Directors;

(e) the Registrar;

(f) the Finance Officer;

(g) the Examination Controller, and

(h) such other Officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

10. (i) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall be virtue of his offices be the Head of the University and shall under present, preside at any convocation of the University. The Chancellor

(ii) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confermation of the Chancellor.

(iii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for;

(iv) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the statutes.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed; The Vice-Chancellor

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal academic

and executive officer of the University, and shall exercise supervision and control over the affairs of the University and give effect to other decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor, may if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any officer or authority of the University by or under this Act and shall report to such officer or authority the action taken by him on such matter;

Provided that if the officer or authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final;

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act Statutes or Ordinances or that any decision taken is not in the interests of the University may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review its decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final;

Provided that the decision of the authority concerned shall remained suspended during the period of review of such decision by the authority or the Chancellor as the case may be, under this sub-section.

(5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

The Pro-Vice-Chancellor

12. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

The Director

13. Every Director shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of services, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

The Registrar

14. (1) The Registrar shall be appointed by the State Government in such manner on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

The Finance Officer

15. (1) The Finance Officer shall be appointed by the State Government in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

(2) All contracts shall be entered into the signed by the Finance Officer on behalf of the University.

Examination Controller

16. (1) The Examination Controller shall be appointed by the State Government in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

(2) When, for any reason, the office of the Examination Controller is vacant, all the powers and functions of the Examination Controller shall be performed by the Registrar or by such other persons as may be appointed by the Executive Council.

17. The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed. Other Officers

CHAPTER – V
Authorities of the University

18. The following shall be authorities of the University– Authorities of the Universtiy

(a) The Executive Council;
(b) The Academic Council;
(c) The Planning Board;
(d) The Board of Recognition;
(e) The Schools of studies;
(f) The Finance Committee;
(g) The Examination Committee; and
(h) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

19. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University. The Executive Council

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

20. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances, have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of learning, education, instruction, evaluation and examination within the university and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.

(2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

21. (1) There shall be constituted a Planning Board of the University which shall be the principal body of the University and shall also be reponsible for the The Planning Board

monitoring of the developments of the University on the lines indicated in the objects of the University.

(2) The Consitution of the Planning Board, the term of officer of its members and its powers and functions shall be as may be prescribed.

22. (1) The Board of Recognition shall be responsible for admitting Colleges and other institution to the privileges of the University. — The Board of Recognition

(2) The Constitution and the other powers and functions of the Board of Recognition shall be such as may be prescribed.

23. (1) There shall be such number of Schools of Studies as the University may determine from time to time. — The Schools of Studies

(2) The Constitution, powers and functions of the Schools of studies shall be such as may be prescribed.

24. The Constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed. — The Finance Committee

25. The Constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be such as may be prescribed. — Other Authorities

CHAPTER – VI

(Statutes, Ordinances and Regulations)

26. Subject to the provisions of this Acts, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for :– — Statutes

(a) the manner for appointment of Vice-Chancellor, the term of his appointment, the emoluments and other conditions of his service and the powers and functions that may be exercised and performed by him;

(b) the manner of appointment of Pro-Vice-Chancellor, Directors, Registrar, Examination Controller, the Finance Officer and other officers, the emoluments and other conditions of their service and the powers

and function that may be exercised and performed by each of such officer;

(c) the constitution of the Executive Concil and other authorities of the University, the terms of office of the members of such authorities and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities;

(d) the appointment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;

(e) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(f) the principles governing the seniority of service of the teachers and other employees of the University;

(g) the procedure in relation to any appeal or application for review by any teacher, employee or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;

(h) the procedure for the settlement of disputes between the teachers, employees or students of the University, and the University;

(i) the allocation and disbursement of grants to colleges and other institutions;

(j) the conditions that are required to be fulfilled for admission of the colleges to the privileges of the University;

(k) all other matters which by this Act are to be, or may be, provided for by the Statutes.

Statutes how made

27. (1) The first statutes of the University shall be made by the State Government by notification.

(2) The Executive Council may from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub-section(1);

Provided that the Executive Council shall not make, or repeal any Statute affecting the status, powers or constitutions of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity to express its opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed has been considered by the Executive Council.

(3) Every new Statute or addition to a statute or any amendment or repeal of statute shall be submitted to the Chancellor, who may assent to it or withhold his assent thereon or remit it to the Executive Council for further consideration.

(4) A new Statute or a statute amending or repealing an existing statute shall not be valid unless it has been assented to by the Chancellor.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) during the period of three years from the commencement of this Act.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the State Government may direct the Executive Council to make provision in the Statutes in respect of any matter specified by it, and if the Executive Council is unable to implement such a direction within sixty days of its receipt, the State Government may, with the assent of the Chancellor, after considering the reasons, if any communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

Ordinances

28. (1) Subject to the provision of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section(1), the Ordinances shall provide for

the following matters, namely :–

(a) the admission of student, the courses of study and the fees therefore, the qualification pertaining to the degrees, diplomas, certificates and other courses; the conditions for the grant of fellowships, awards and the like;

(b) the conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners; and

(c) the management of Colleges admitted to the privileges of the University.

(3) The first Ordinances shall be made by Vice-Chancellor with the previous approval of the State Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in such manner as may be prescribed.

Regulations

29. The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them not provided for by this Act, Statutes or the Ordinances, in such manner as may be prescribed.

CHAPTER – VII
Annual Report and Accounts

Annual report

30. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects.

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before such date as may be prescribed.

(3) A copy of the annual report, prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the State Government.

Account and Audit

31. (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall, once at least every year, and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Directors, Local Funds Accounts, Uttar Pradesh or by such person or persons as the State Government may authorise in this behalf.

(2) A copy of the annual accounts and the balance sheet together with the audit report thereon shall be submitted to the State Government alongwith the observation, if any, of the Executive Council before the thirtieth of Septembers every year.

(3) Any observations made by the State Government on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observations shall be submitted to the State Government.

Surcharge

32. (1) An Officer specified in any of the clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or mis-conduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

CHAPTER – VIII

Conditions of Service of Employees

Conditions of service of employees

33. (1) Except as otherwise provided by or under this Act employee including a teacher of the University may be appointed under a written contract and such contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The contract referred to in sub-section (91) shall be lodged with Finance Officer of the University and a

copy of which shall be furnished to the employee concerned.

34. (1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in section 33 between the University and an employee or a teacher shall, at the request of either party, be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the employee or teacher conserned and an umpire to be nominated by the Chancellor. Tribunal of Arbitration

(2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. Act No. 26 of 1996

35. (1) The University shall constitute for the benefit of the employees and teachers such provident or pension funds or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. Provident and Pension funds

(2) Where any provident or pension fund has been so constituted, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 shall apply to such funds, as if it were a Government provident Fund. Act No. 19 of 1925

CHAPTER – IX
Miscellaneous

36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final. Disputes to the constitution of the authorities and bodies.

37. All the casual vacancies among the members other than *ex-officio* members of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body, who appoints, elects, or co-opts the members whose place has Filling of Casual vacancies

become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been member.

38. No act or proceedings of any authority or any other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members. Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies

39. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances. Protection of action taken in good faith

40. (1) The University shall appoint such number of employees including academic staff as may sanctioned by the State Government from time to time. The terms and conditions of service of the employees of the University shall be such as may be prescribed. Staff of the University

(2) The salaries and allowances payable to various categories of employees of the University shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

CHAPTER – X

Miscellaneous and Transitory Provisions

41. (1) If any difficulty arises in giving to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

42. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes:– Transitional provisions

(a) The first Vice-Chancellor, the first Registrar and the first Controller of examination shall be appointed by the State Government and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes :

Provided that the first Vice-Chancellor shall be eligible for appointment in the manner specified in the Statutes for another term;

(b) The first Executive Council shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of two years; and

(c) (i) The first Planning Board shall consist of not more than ten members who shall be nominated by the Chancellor and they shali hold the office for a term of two years.

(ii) The Planning Board shall in addition to the powers and functions conferred on it by this Act, exercise the powers of the Academic Council, untill the Academic Council is constituted under the provisions of this Act and the Statutes, and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.

43. (1) Every Statutes, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the *Gazette*. Statutes, Ordinances and Regulations to be Published in the Gazette

(2) First Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act, shall, as soon as may be after it is made, be laid between U.P. Act. No. 1 of 1904 both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act. U.P. Act. No. 1 of 1904

44. (1) The Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Ordinance, 1998 is hereby repealed. U.P. Ordinance No. 18 of 1998

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section(1) shall be deemed have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

THE SCHEDULE

(See Section 4)

THE OBJECTS OF THE UNIVERSITY

The Uninversity shall endeavour through education, research, training and extension to play a positive role in the development of the State, and, based on the rich heritage of the State to promote and advance the culture of the people of India and its human resources and towards this, end, it shall;

(a) Strengthen and diversify the degree, diploma and certificate courses related to the needs of employment and necessary for building the economy of the country on the basis of its natural human resources;

(b) Provide access to higher education for large segments of the population, and in particular, the disadvantaged groups such as those living in remote and rural areas including working people, housewives and other adults who wish to upgrade or acquire knowledge through studies in various fields;

(c) Promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continually offer opportunity for upgrading knowledge, training and skills in the context or innovations, research and discovery in all fields of human endeavours;

(d) Provide an innovative system of University level education, flexible and open, in regard to methods and pace of learning combination of courses, eligibility for enrollment age of entry, conduct of examination and operation of the programmes with a view to promote learning and encourage excellence in new fields of knowledge;

(e) Contribute to the improvement of the educational system by providing a non-formal channel complementary to the formal system and encouraging transfer of credits and exchange of teaching staff by making wide use of texts and other software developed by the University;

(f) Provide education and training in the various arts, crafts and skills of the country, raising their quality and improving their availability to the people;

(g) Provide or arranged training of teachers required for such activities or institutions;

(h) Provide suitable Post-graduate courses of study and promote research;

(i) Provide the counselling and guidance to its students; and

(j) Promote national integration and the integrated development of the human personality through its policies and programmes.

2. The University shall strive to fulfil the above objects by a diversity of means of distance and continuing education, and shall function in co-operation with the existing Universities and Institutions of higher learning and make full use of the latest scientific knowledge and new educational technology to offer a high quality of education which matches contemporary needs.

•••

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 160/LXXVII-1-2002-15(6)-93), dated January 19, 2002.

No. 160/LXXVII-1-2002-15(6)-93

Dated Lucknow : January 19, 2002

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 27 of the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act, 1999 (U.P. Act No. 10 of 1999), the Governor is pleased to make the following statute for the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University.

THE UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY FIRST STATUTES, 2002

CHAPTER – I

Preliminary

Short title and commencement

1.01 (1) These Statutes may called the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University First Statutes, 2002.

(2) The shall come into force with effect from the date of their publication.

Definitions

1.02 (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires,–

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act, 1999 as amended from time to time.

(b) 'age of teacher' means the period calculated from the date of birth of the teacher concerned as mentioned in his High School Certificate or any other examination recognised as equivalent thereto to the date of calculation.

(c) 'clause' means a clause of the Statute in which that expression occurs.

(d) 'section' means a section of the Act.

(e) 'University' means the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University.

(f) words and expression used in the Act but not defined in these statutes shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

Other powers of the Chancellor–Section 10 (iv)

Other powers of Chancellor

2.01 The Chancellor may, while considering any matter referred to him under section 36, call for such document or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary and may, in any other case, call for any document or information from the University and pass such order as he thinks proper.

2.02 In any of the following circumstances, the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify :–

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave, expiry of term or resignation or any other cause, of which a report shall forth with be made by the Registrar to the chancellor.

(b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of statute 3.01 to 3.05.

(c) any other emergency:

Provided that the Chancellor may, from time to time, extend the terms of appointment of any person to the office of Vice-chancellor under this statute, so however, that the total term of such appointment including the term fixed in the original order does not exceed one year.

2.03 If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfuly omits or refuses to carry out the provisions of the Act or statute or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as be deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

2.04 During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in statute 2.03, the Chancellor may order that further orders–

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under statute 3.08;

(b) the functions of the office the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

CHAPTER – III
Vice Chancellor

Appointment of Vice-Chancellor Section 11 (i)

3.01 The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by statutes 2.02 or statute 3.05 from amongst the person whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of statute 3.02.

3.02 The Committee shall consist of the following members, namely:–

(a) One person not being a person connected with the University, to be elected by the Executive council [at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term].

(b) The chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad or any person nominated by him who is or has been the judge of that High Court; and

(c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convenor of the Committee.

Provided that where the Executive Council fails to elect any person in accordance with clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under clause (c), one person in lieu the representative of the Executive Council.

3.03 The Committee, shall as far as may be at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under statute 3.07 and also whenever so required

and before such date as may be specify by the Chancellor, submit to the chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualification and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

3.04 Where the Chancellor does not consider any one or more persons recommended by the committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with statutes.

3.05 If the Committee in the case referred to in statute 3.03 or statute 3.04 fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with statute 3.03.

3.06 No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

Terms of Vice-Chancellor

3.07 The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three year from the date on which he enters upon his office:

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

Emoluments and other

3.08 Subject to the provisions of the Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall

be such as may be determined by the State Government by general or special order in the behalf.

conditions of service of Vice-Chancellor

3.09 The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund constituted under Section 35(1) of the Act:

Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or associated college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution of the University shall be limited to what it had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

3.10 Until a Vice-Chancellor under statutes assumes office, the pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the senior Professor of the University shall discharge of the Vice-Chancellor as well.

Other powers and functions of Vice-Chancellor [(Section (11)]

3.11 The Vice-Chancellor shall–

(a) in the absence of the Chancellor, preside at meetings and at any convocation of the University.

(b) be responsible for holding and conduction of the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.

3.12 The Vice-Chancellor shall be *officio* member and Chairman of the authorities of the University as mentioned under section 18.

3.13 The Vice-Chancellor shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this statute be entitle to vote.

3.14 It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor under section 10 and section 36 possessers all such powers as may be necessary in that behalf.

3.15 The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Planning Board, the Academic Council, the Finance Committee and all other Statutory Committees.

3.16 Where any matter other than the appointment of teacher of the University is of urgent requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under the Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter;

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statute or the Ordinances:

Provided further that if the officers, authority or the other body is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annual the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor;

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this statute shall have the right to appeal against such action to the Executve Council within three months from the date on which decisions on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

3.17 Nothing in statute 3.16 shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

3.18 The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Ordinance.

3.19 The Vice-Chancellor may–

(i) appoint instructors, course writers, script writers, counsellor, consultants, programme, artists and such other persons as may be considered necessary for the efficient functioning of the University.

(ii) make short-term appointments for a period not exceeding six months at a time of such persons as may be considered necessary for the functioning of the University and selected as per procedure laid down in the ordinances.

(iii) arrange for the establishment and maintenance of study Centres, programme centres at different places as may be required from time to time and delegate to any employee of the University such powers as are necessary for their efficient functioning.

(iv) constitute committee or committees of subject experts, educationists and administrators which may be necessary in the interest of the University.

CHAPTER – IV

Pro-Vice-Chancellor, Director, Registrar, Examination Controller, Finance Officer and other Officers

Pro-Vice-Chancellor (Section 12)

4.01 The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the professors or Directors of the Schools of Studies of the University.

4.02 The Pro-Vice-Chancellor shall his duties in addition to his duties as a Professor or Director of School of studies.

4.03 The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

4.04 The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium as may be laid down in the ordinances.

4.05 The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of

the Vice-Chancellor and shall exercise such powers such duties as may assigned to him by the Vice-Chancellor.

The Directors (Section-13)

4.06 Every Director shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of–

(i) the Vice-Chancellor, in case the candidate to be appointed is already a Professor in the University, and

(ii) a Selection Committee, consisting of the following members in case the candidate to be appointed is from outside the University:–

(a) the Vice-Chancellor-Chairman.

(b) Two experts nominated by the Chancellor–Member.

(c) One member of Executive Council nominated by the Vice-Chancellor–Member.

4.07 Every Director shall be a whole-time salaried officer of the University and shall exercise such powers and performs such functions as may be laid down in the Ordinances.

4.08 The emoluments of the Directors shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

4.09 Other conditions of the service of the Directors shall be such as prescribed for the teaching staff of the University.

The Registrer (Section 14)

4.10 The Registrar shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Executive Council of the University. The Executive Council shall recommend at least the names of three persons from whom the State Government shall appoint one person to the post of the Registrar.

Emoluments

4.11 The emoluments of the Registrar shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

Other conditions of Service

4.12 The Uttar Pradesh State University (Centralised) Service Rules, 1975 made under U.P. State, University Act, 1973 (President Act 10/1973) shall *mutatis mutandis* apply with regard to the other conditions of service of the Registrar.

Powers & Functions

4.13 The Registrar shall be a whole time office of the University. He shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. The Registrar shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council, the Planning Board, the Acedemic Council and of every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before the authorities and the Committee all such information as may be necessary for transaction of their business, he shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances or required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not be entitled to vote.

4.14 The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by the Act and the Statutes.

4.15 Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the Registrar shall have disciplinary control over all employees of the University, other than the–

(a) officers of the University;

(b) teachers of the University, whether in relation to their work as teacher or while holding any remunerative office or in any other capacity, such as examiner or invigilators;

(c) the Librarian;

(d) other employees referred to in section 40;

(e) other employees in the University in the Accounts and Audit Section.

4.16 An employee of the University aggrieved by an order referred to in statute 4.15 may prefer an appeal through the Registrar to the Disciplinary Committee constituted under statute 5.50 within fifteen days from the date of service of the order. The decision of the Committee on such appeal shall be final.

4.17 Subject to the provisions of the Act, it shall be the duty of the Registrar–

(a) to be the custodian of all the properties of the

University unless otherwise provided for by the Executive Council;

(b) to issue all notices convening meetings of the various authorities with the apporoval of the Chairman of the Competent Authority concerned and to keep the minutes of all such meetings;

(c) to conduct the official correspondence of the Executive Council, the Acedamic Council Planning Board and the Board of Recognition;

(d) to exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, Vice-Chancellor or various authorities of bodies of the University of which he acts as Secretary;

(e) to represent the University in suits or proceedings by or against the University sign powers of attorney and verify pleadings.

The Finance Officer (Section 15)

4.18 (1) There shall be a Finance Officer for the University. The Finance Officer shall be appointed from amongst the Officers of Finance and Account Services not below the rank of Senior Finance and Accounts Officers. The emoluments and other conditions of services shall be governed by the rules and orders applicable to the Senior Finance and Accounts Officers of Finance and Accounts Services of the State Government. The emoluments payable to the Finance Officer shall be paid by the University.

(2) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by one of the Director of the School of studies nominated by the Vice-Chancellor and if for any reason the same is not feasible, then by the Registrar or by such officer as may be nominated by the Vice-Chancellor.

Functions of the Finance Officer

4.19 The powers and functions of the Finance Officer shall be as under:–

(a) to speak in and otherwise to take part in the proceeding of the Executive Council except voting;

(b) to require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties;

(c) to present the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University;

(d) to ensure that no expenditure not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment).

(e) shall disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of the Act or Statutes or Ordinances;

(f) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(g) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed;

(h) to exercise general supervision over the funds of the University;

(i) to advise in any financial matter either *suo moto* or on his advice being sought;

(j) to keep a constant watch on the state of the cash and bank balances; and on the state of investment;

(k) to collect the incomes, disburse the payments and maintain the accounts of the University;

(l) to ensure that the registers of buildings, lands, furnitures and equipments are maintained up to date and that stock checking of equipment and other consumable material is conducted regularly in the University;

(m) to probe into any unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest to the Competent Authority, disciplinary action against persons at fault;

(n) to call for any information or return from any

department or unit of the University that he may consider necessary for the performance of his duties;

(o) to arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University, and shall pre-audit such bill as may be required in accordance with any standing orders in that behalf.

(p) to perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor;

(q) to exercise disciplinary control over all the employees in the Audit and Account Section of the University below the rank of the Assistant Registrar (Accounts) and shall supervise the work of the Deputy Registrar, Assistant Registrar (Accounts) and the Accounts Officer.

4.20 If any difference of opinoin arises between the Vice-Chancellor and the Finance Officer on any matter concerning the performance of the functions of the Finance Officer, the question shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding.

Examination Controller Section-16

4.21 the Examination Controller shall be whole time officer of the University and shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Executive Council of the University. The person recommended by the University for the appointment of Examination Controller shall not be below the rank of the Reader of a University.

4.22 The emoluments of the Examination Controller shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

4.23 Other conditions of service of the Examination Controller shall be governed by the service conditions prescribed by these statutes for the teachers of the University.

4.24 The examination Controller shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be ex-officio Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for

transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Ordinances or required, from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor. He shall not, by virtue of this statute be entitled to vote. He may require any information from any office or school of studies or study centre or the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

4.25 The Examination controller shall have administrative control over the employees working under him.

4.26 Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor and Examinations Committee, the Examination Controller shall conduct the Examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

4.27 The Examination Controller shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.

CHAPTER – V

A. Authorities of the University (Section-19)

Constitution of the Executive Council (Section-19)

5.01 the Executive Council shall consists of :–

(a) the Vice-Chancellor-Chairman,

(b) the Pro-Vice-Chancellor (if any) Member.

(c) two Directors selected by rotation in order of seniority from school of studies in mentioned in statute 5.17.

(d) one Professor selected by rotation in order of seniority.

(e) one Reader selected by rotation in order of seniority.

(f) one Lecturer selected by rotation in order of seniority.

(g) four persons, who are not employees of the

University, to be nominated by the Chancellor, out of a panel of fifteen names submitted by the Vice-Chancellor representing the following areas of specialisation:–

(i) two eminent educationists–Members.

(ii) two person from leading Industry–Members.

(h) Vice-Chancellor of Indira Gandhi National Open University or his nominee not below the rank of Pro-Vice-Chancellor–Member.

(i) One person who is or has been a Judge of the High court nominated by chief Justice of High Court–Member.

5.02 No person shall be member of the Executive council for more than two consecutive terms except Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor.

5.03 The term of office of members of the Executive council shall commence from the date of selection or nomination.

5.04 One third of the total members of the Executive coouncil shall form the quorum for a meeting of the Executive council.

5.05 Notwithstandng anything in statute 5.01 no person shall be selected or nominated as a member of the Executive council unless he is graduate.

5.06 A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University.

Provided that nothing in his statute shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor or tutor for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation-In this 'relative' means the relations defined under Section 6 of the Companies Act, 1956 and includes the

wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or Husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

Term of Office

5.07 The term of the office of the members of the Executive Council other than ex-officio members shall be two years;

Power and functions of Executive council

5.08 The Executive Council shall be the principal executive body of the University and subject to the provisions of the Act, have the following powers, namely–

(i) to hold and control the property and funds of the University;

(ii) to create teaching and non teaching posts with prior approval of State Government.

(iii) to define conditions of service of teachers and non-teaching staff of the University;

(iv) to approve the appointment of teaching and non-teaching staff as the case may be.

(v) to approve the appointments of temporary vacancies of teaching staff;

(vi) to approve the appointments of vesting Professors, Emeritus Professor, artists and course writers and determine the terms and conditions of such appointments on honorarium basis prescribed in the Ordinances;

(vii) to invest any surplus money belonging to the University, in such securities as it thinks fit or in the purchase of any immovable property for the development of the University;

Provided that no action under this clause shall be taken without prior approval of the Finance Committee.

(viii) to regulate and enforce discipline among the teaching and non-teaching staff of University in accordance with the Act, Statutes and Ordinances;

(ix) to consider, adjudicare upon and redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason feel aggrieved;

(x) to fix the remuneration travelling and other allowances payable to course writers, contract persons, examiners and investigators with the approval of the Finance Committee;

(xi) to select the common seal for the University and to provide for use of such seal;

(xii) to institute fellowship and scholarship;

(xiii) to make, ammend or repeal statutes and ordinances;

(xiv) to prepare budget of the University;

(xv) to prescribe programme and course fees, examination fees and other fees/charges for various programme and courses and for other matters.

Constitution of Academic council (Section 20)

5.09 (1) the Academic Council shall consists of the following :–

(i) the Vice-Chancellor–Chairman

(ii) the Pro-Vice-Chancellor-Member

(iii) all Directors of Schools of Studies-Member

(iv) two Professor, two Readers and two Lecturers to be selected by rotation in order of seniority-Member

(v) Librarian-Member

(vi) One person nominated by the Chairman University Grants Commission not below the rank of joint Secretary-Member

(vii) five persons of acedamic eminence to be co-opted in the manner as it thinks fit-Member

(viii) Registrar-Member-Secretary

(2) Eight members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting.

(3) No person shall be a member of Academic council for more than two consecutive terms except Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor.

(4) No Member shall be nominated for more than two consecutive terms.

Other powers and functions of the Academic Council

5.10 Other powers and functions of the Academic Council shall be–

(a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instructions or improvement in academic standards;

(b) to consider matters of general interest either on its own initiative or on a reference from the Planning Board or a School of Studies or the Executive Council; and

(c) to advice the Executive Council on all academic matters.

Constitution of the Planning Board (Section 21)

5.11 The Planning Board shall have following members:–

(i) the Vice-Chancellor-Chairman;

(ii) four persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the teaching staff in order of seniority;

(iii) five persons, who are not employees of the University to be nominated by the Executive-Council for their expertise, one each of the following areas of specialisation;

(a) Commercial Management;

(b) Learned Professions;

(c) Science/Humanities/Social Science/ Environment;

(d) Distance Education/and

(e) Industry.

5.12 The term of office of the members of the Planning Board shall be two years.

5.13 (a) No person shall be a member of Planning Board for more than two consecutive terms except Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor.

(b) The Planning Board shall meet at such intervals as it shall deem expedient, but it shall meet at least twice in a year.

(c) Six members of the Planning Board shall form the quorum for a meeting of the Board.

Powers and functions of Planning Board

5.14 The Planning board shall design and formulate appropriate programmes and activities of the University, and it shall have the right to advise the Executive Council on any matter which it may deem necessary for the fulfilment of the objects of the University;

Provided that in case there is any difference of opinion between the Planning Board and the Academic council on any matter, it shall be referred to the Executive Council whose decision shall be final.

Constitution of Board of Recognition (Section 22)

5.15 The Board of Recognition shall consists of following:–

(i) the Vice-Chancellor-Chairman;

(ii) the Pro-Vice-Chancellor-Member;

(iii) Director of each School of Studies-Member;

(iv) two members of the Academic council nominated by the Vice-Chancellor-Member;

(v) One member of the Planning Board nominated by Vice-Chancellor-member;

(vi) One member of the Executive Council nominated by the Executive Council-member;

(vii) Registrar-Member Secretary.

Powers and functions

5.16 The other powers and functions of the Board of Recognition shall be–

(a) to lay down norms for the recognition of institutions with the approval of the Academic Council and Executive Council;

(b) to examine applications for recognition of institutions referred to it by the Vice-Chancellor and to submit its recommendations to the Academic Council;

(c) to appoint such number of committees as may be necessary;

(d) to perform such functions as may be assigned to it by the academic Council.

The Schools of Studies

5.17 The University shall have the following Schools of Studies, namely :–

1. Humanities (Sections 23)
2. Social Sciences
3. Sciences
4. Education
5. Engineering and Technology
6. Management Studies
7. Health Science
8. Computer and Information Science
9. Vacational Studies including Fine Arts and Music.
   (a). Agricultural Sciences
10. Such other schools of studies as may be considered necessary by the University:

Provided that the School of studies shall start functioning from the date approved by the Executive Council.

5.18 The Executive Council, on the recommendation of the Vice-Chancellor, may assign one or more subject to Schools of Studies as may be in the interest of the proper functioning.

5.19 Every School of Studies shall have a Board, which shall comprise the following :– Constitution

(a) Director of School-Chairman.

(b) All professors of the School-Member.

(c) Two Readers selected by rotation in order of seniority by the Vice-Chancellor-Member.

(d) Two Lecturers selected by rotation in order of seniority by the Vice-Chancellor-Member.

5.20 The term of the members of the board of Schools shall be two years except Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor.

5.21 No person shall be member of the board of the school of studies for more than two consecutive terms except Vice-Chnacellor and Pro-Vice-Chancellor.

5.22 The Board of a school shall have the following powers and functions:– Powers and Functions

(i) to Promote research work in the School;

(ii) to approve the course structure of the academic programmes of the School, in accordance with the directions of the Academic Council;

(iii) to approve the syllabus in accordance with the course structure on the advice of Expert Committee(s) constituted by the Vice-Chancellor;

(iv) to recommend to the Vice-Chancellor names of course writers, examiners and moderators for different courses on the proposal of the Director of the School prepared in consultation with the professors of the disciplines assigned to the School;

(v) to formulate proposals for orientation programmes for course writers in collaboration with other schools;

(vi) to formulate proposals for orientation programmes/refresher/Summer Courses of seminars for tutors and counselors;

(vii) to prepare general instructions for counselling to learners for different programmes;

(viii) to review methodologies adopted for preparation of educational materials for the course in the disciplines assigned to the School, to evaluate the educational materials and to make suitable recommendations to Academic Council;

(ix) to review, from time to time, the courses already in use with the assistance of outside experts, if necessary, and to make such changes in the courses, as may be required;

(x) to review the facilites of the Study, Contact Programme Centres and arrangements for laboratory, field work periodically, as may be determined by the Schools;

(xi) to perform all other functions, which may be prescribed by the ordinances and to consider all such matters, as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council, the Planning Board to the Vice-Chancellor; and

(xii) to delegate to the Director or to any other member

of the Board or to a committee such general or specific powers, as may be decided upon by the School, from time to time.

5.23 The following units shall constitute the School of Humanities :–

(1) Sanskrit and Prakrit Languages

(2) Hindi and Modern Indian Languages

(3) English and Modern European Languages

(4) Philosophy

(5) Psychology

(6) Economics

(7) Linguistics

(8) Oriental Studies

(9) Journalism and Mass Communication

(10) Urdu

(11) Library and Information Science

5.24 The following units shall constitute the School of Social Sciences:–

(1) Political Science

(2) Anthropology

(3) Ancient Indian History and Archaeology

(4) Medieval and Modern History

(5) Sociology

(6) Social Work

(7) Public Administration

(8) Geography

5.25 The following units shall constitute the School of Science :–

(1) Physics

(2)Chemistry

(3) Zoology

(4) Botany

(5) Mathematics

(6) Computer Science

(7) Microbiolgy

(8) Statistics

(9) Bio-Chemistry

(10) Food Technology

(11) Home Science

5.26 The following units shall constitute the School of Education :–

(1) Education

(2) Adult and Continuing Education

5.27 The following units shall constitute the School of Engineering and Technology :–

(1) Civil Engineering

(2) Mechanical Engineering

(3) Electrical Engineering

(4) Electronics

(5) Computer Science and Engineering

(6) Applied Sciences and Humanities

5.28 The following units shall constitute the School of Management Studies :–

(1) Commerce

(2) Pure and Applied Economics

(3) Business Administration and Business Management

(4) Financial Analysis and Accountacy

5.29 The following units shall constitute the School of Health Sciences:–

(1) Health Education

(2) Nutrition, Food and Dietetics

(3) Nursing and para-medical services

5.30 The following units shall constitute the School of Computer and Information Science :–

(1) Computer Applications and Computer Engineering

(2) Information Technology

5.31 The following units shall constitute the School of Vocational Studies :–

(1) Fashion Designing

(2) Textile Designing

(3) Interior Designing

(4) Interior Decoration

(5) Commercial Arts

(6) Photography

(a) The following units shall constitute the School of Agricultural Science

(1) Agricultural Production System and Management

(2) Live Stock Production System

(3) Post Harvest Technology and Value Addition

(4) Agribusiness Management

(5) Natural Resource Management

(6) Extension and Community Development

Finance Committee (Section 24)

5.32 The Finance Committee shall consist of :–

(a) the Vice-Chancellor-Chairman

(b) the Secretary to the State Government in the Department of Higher Education or his nominee not below the rank of Special Secretary-Member

(c) the Secretary to the State Government in the Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary-Member

(d) the Prov-Vice-Chancellor-Member

(e) the Registrar-Member

(f) Examination Controller-Member

(g) one person, who is not an employee of the University nominated by Executive Council-Member

(h) the Finance Officer-Member-Secretary.

5.33 the Term of the members of the Finance Committee shall be two years.

Powers and Functions

5.34. The Finance Committee shall administration advise the Executive Council on matters relating to the adminstration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may for any special reasons, revise during the financial year of the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.

5.35 Unless the proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive

Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendation of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for its disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

5.36 If Executive Council at any time after the consideration of the annual financial estimates (i.e., the budget) proposes any revision thereof involving recurring or non-recurring expenditure, the Executive Council shall refer the proposal to the Finance Committee.

5.37 The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and thereafter submit to the Executive Council for approval.

5.38 Members of the Finance Committee shall have the right to record a minute of dissent, if they do not agree with any decision of the Finance Committee.

5.39 The Finance Committee shall meet at least twice every year to examine the accounts and to scrutinise proposals for expenditure.

Examination Committee (section 18)

5.40 The Examination Committee shall consist of following :–

(i) the Vice-Chancellor-Chairman;

(ii) the Pro-Vice-Chancellor-Member;

(iii) all director of schools of studies-Member;

(iv) one member of the Executive Council nominated by it-Member;

(v) one member of Academic Council-Member;

(vi) two members of Executive Council nominated by Vice-Chancellor-Member;

(vii) Examination Controller-Secretary;

5.41 The terms of the members of Examination Committee shall be one year.

5.42 The meetings of the Examination Committee shall be convened by the Vice-Chancellor as and when necessary.

5.43 The Examination Committee shall supervise all examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely :–

(a) to appoint examiners and moderators on the recommendation of the Board of Studies and, if neccessary, to remove them;

(b) to review from time to time the results of University examinations and to submit the same to the Academic Council for approval;

(c) to declare the result of the University after the approval of Academic Council;

(d) to make recommendation to the Academic Council for the improvement of the examination system.

5.44 The Examinations Committee may appoint such number of sub-committees as it thinks fit to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

5.45 Notwithstanding anything contained in the Statutes, the Examinations Committee or sub-committee to whom the Examinations Committee has authorised its power in this behalf under Statute 5.44 shall have power to debar an examinee from future examinations of the University.

B. Other Authorities

5.46 It is hereby declared that the following shall be the other Authorities of the University :– Board of Studies

5.47 There shall be a Board of Studies in each subject, and the constitution, powers and functions of which are given below :–

(1) The Board of Studies shall consist of,–

(a) all Professors of the School of Studies;

(b) two Readers by rotation and seniority for one year;

(c) two Lecturers by rotation and seniority for one year;

(d) three experts to be nominated by the Academic Council on the recommendation of the panel of six names to be submitted by the Board;

Provided that in case the Board of Studies or the Academic Council fails to sumbit the names of the experts, the Vice-Chancellor shall nominate three experts.

(2) the Board of Studies shall have power to perform the following functions.

(a) to formulate course to the offered in the subject and recommend the same to the Board of School for its consideration whose decision shall be final;

(b) to identify course writers, reviewers and experts as desired by the Board of School;

(c) to prepare panel of examiners, moderators for sessional assignments;

(d) any other matter related to subject referred to by the Vice-Chancellor;

Expert Committees

5.48. Proceedings of the Board of Studies shall be submitted to the Academic Council through the Board of School.

5.49 (1) The Vice-Chancellor may constitute as many expert committees as he deems fit and may appoint such persons of the subject matter, as are not Members of the Board of School.

(2) any committee appointed under this statute may deal with any subject delegated to him by Board of Studies.

(3) Proceedings of an Expert Committee shall be submitted to the Academic Council through the Board of School.

Disciplinary Committee

5.50 (1) The Executive Council shall constitute, for such terms as it thinks fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor and two other persons nominated by it;

Provided that if the Executive Council considers if expedient, it may constitute more than one such Committee to consider different case or classes of cases.

(2) No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as member of any Disciplinary Committee.

(3) The Executive Council may at any stage transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee.

(4) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows:–

(a) to decide any appeal preferred by an employee of the University;

(b) to hold inquiry into cases involving disciplinary action against a teacher or the Librarian of the University;

(c) to recommend suspension of any employee referred to in clause (b) above pending or in contemplation of inquiry against such employee;

(d) to exercise such other powers and perfrom such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Executive Council;

(5) In case of difference of opinion among Members of the Committee, the decision of majority shall prevail.

(6) The decision or the report of the Disciplinary Committee shall be laid before the Executive Council as early as possible, to enable the Executive Council to take its decision in the matter.

5.51 There shall be a Subject committee in each unit of School of Studies in the University to assist the Director of the School of Studies appointed under these Statutes.

Subject Committees

5.52 (1) The Subject Committee shall consist of the Following :–

(a) The Director of the School of Studies, Chariman

(b) All the Professors in the unit– Member

Provided that :–

(i) in a unit where there is no Professor, all the Readers of the unit;

(ii) in a unit which has Profesors as well as Readers, then two Readers by rotation in order of seniority for a period of two years;

(iii) in a unit which has Readers as well as Lecturers, then one Reader and one Lecturer and in a unit which has no Readers then two Lecturers by rotation in order of seniority for a period of two years;

Provided further that for any matter specifically, concerning any subject of specializaiton, the senior-most teacher of the subject or speciality if not already included in the foregoing heads, shall be specially invited for the matter.

5.53 The following shall be the function of the subject committee subject to the permission of the board of school–

(a) to make recommendation regarding distribution of teaching work among the teachers of the units;

(b) to made suggestions regarding co-ordination of the research and other activities in the unit;

(c) to consider matters of general and academic interest to the unit;

5.54 The Committee shall meet at least once in a quarter. The minutes of its meeting shall be submitted to the Vice-Chancellor.

CHAPTER – VI

Teachers of the University (Section 26)

Classification of Teachers

6.01 In the University there shall be following classes of teachers :–

(1) Professor,

(2) Reader, and

(3) Lecturer;

Qualification of Teachers in the

6.02 For a Lecturer :–

(1) in the School of Humanities, School of Social Science,

School of Sciences and School of Management Studies, the minimum qualification for the post of Lecturer shall be Master's Degree of a recognised University or an equivalent degree of a Foreign University in the relevant subject with at least 55% marks or its equivalent grade and good academic record. University

(2) In the School of Education, the minimum qualification for the post Lecturer in the University shall be Master's Degree of a recognised University or an equivalent degree of a Foreign University in Education (i.e., a M.ED. degree of its equivalent) with at least 55% marks or its equivalent grade and good academic record;

(3) In the School of Vocational Studies, the minimum qualifiication for the post of a Lecturer shall be Master's degree or an equivalent degree or diploma recognised by the University in the relevant subject with at least 55% marks or its equivalent grade and good academic record.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-statute (1), (2) and (3) the minimum marks at Master's Degree level in the relevant subject for candidates belonging to Schedule Caste/Schedule Tribe and Physically and Visually impaired handicapped Persons shall be 50% instead of 55%.

(5) For the purpose of this statute good academic record in relation to Lecturership,–

(a) a candidate must have obtained 55% marks in Bachelor's Degree Examination but the candidate holding Ph. D. Degree in the relevant subject shall be entitled for relaxation of 5% marks.

(b) for appointment to the post of Lecturer in subject other than vocational courses, management, engineering and technology, only those candidates shall be eligible who, besides fulfilling the minimum academic qualifications prescribed for the post of Lecturer have cleared the eligibilty test conducted by the University Grants Commission, Council for Scientific and Industrial Research or similar test accredited by University Grants Commission.

or

who has been awarded Ph. D. Degree by December 31, 1993;

or

who has submitted thesis for Ph. D. Degree by December 31, 1993;

or

who has been awarded M. Phil. Degree by December 31, 1992.

(c) in the school of Engineering and Technology, School of Health Science and School of Computer Science and Information Science, the minimum qualifications shall be such as may be prescribed by All India Council for Technical Education/University Grants Commission.

(d) Prescribed Eligibility marks at Graduate Degree level for Physically and visually impaired handicapped person shall be 45 percent instead of 50 percent.

Qualification and appointment of Reader

6.03. For Reader

(1) In all Schools except Schools of Health Science and Vocational Courses, the following shall be the minimum qualification:–

(a) good academic record with a doctorate degree or equivalent published work, and active engagement in research or innovation in teaching methods or publication of teaching materials; and

(b) five Years' experience of teaching or research (excluding the period spent for obtaining the research degrees) including at least three years' experience as Lecturer or in an equivalent position;

(2) In the School of Vocational Studies the following shall be the minimum qualification for the post of a Reader in the University.

(a) good academic record with first or high second class Master's Degree, or and equivalent degree or diploma recognised by the University; and

(b) two years research or professional experience or creative work and achievement in the field of specialisation or a combined research and professional experience of three years in the field as an artists of outstanding talent.

or

a traditional or a professional artist with highly commendable professional achievement in the subject concerned; and

(c) five years teaching experience of Degree or Post Graduate class in the subject.

(3) In the school of Engineering and Technology, School of Health Science and School of Computer Science and Information Science, the minimum qualifiactions shall be such as may be prescribed by All India Council for Technical Education/University Grants Commission.

For Professor

6.04 An eminent Scholar of subject with published work of high quality actively engaged in research at the University/ National Level Institution with ten years experience of teaching in post graduate classes including experience of guiding reserach;

or

An outstanding scholar of subject with established reputation who has made for significant contribution to knowledge.

Determination of Vacancy

6.05 The Registrar shall determine the number of vacancies during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rules as applicable and shall intimate it to the appointing authority for approval.

Advertisement of Vacancies

6.06 The Registrar shall notify the vacancy by pasting the notice on the Notice Board of the office and also placing advertisement in two widely circulated daily newspapers and in Employment News after approval of the appointing authority.

6.07 there shall be a Selection Committee for appointment to the posts of Professor, Reader and Lecturer. The Selection Committee shall consist of,–

(a) the Vice-Chancellor– Chairman;

(b) Pro-Vice-Chancellor– Member;

(c) the Director of the School concerned– Member.

(d) for Professors and Readers three experts and for Lecturer two experts to be nominated by the Chancellor– Member.

6.08 The Majority of the total membership of Selection Committee shall for the quorum;

Provided that in case of Professor or a Reader, the persons present to form the quorum must include at least two experts and in case of Lecturer must include one expert.

6.09 No recommendation made by selection committee shall be considered to be valid unless one of the expert had agreed to such selection.

6.10 If the Executive Council is unable to accept the recommendation made by a Selection Committee, it shall record its reasons for such non-acceptance and submit the case to the Chancellor for final orders.

6.11 Meeting of the Selection Committee for appointment of teachers shall be convened under the orders of the Vice-Chancellor.

6.12 No travelling allowance and daily allowance shall be admissible to the candidates appearing for interview.

6.13 (a) the Selection Committee may recommend more than one candidate for appointment, and in its discretion arrange their names in order of merit.

(b) the Selection Committee may recommend that no suitable candidate for appointment is available. In such a case, the post shall be re-advertised.

6.14 The Selection Committee shall generally meet at the Headquarters of the University. The meeting of the Selection Committee can be held elsewhere in special circumstances with prior approval of the Chancellor.

6.15 Members of the Selection Committee shall be given not less than fifteen days notice of the meeting reckoned from

the date of dispatch of such notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

6.16 At least fifteen days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The notice shall be served either personally or by registered post.

6.17 the travelling and daily allowances of the members of Selection Committee shall be paid by the University at the rates prescribed by Ordinances.

6.18 On the recommendation of the Selection Committee, the Executive Council may allow, up to five advance increments at the time of inital appointment, to such teachers as possess exceptionally high academic attainment and experience. If in any case it is necessary to give more than five advance increments, prior approval of the State Government shall be obtained before making the appointment.

Terms and Conditions of service of teaching staff

6.19 Every teacher shall be appointed by the Executive Council in accordance with the provisions of these Statutes except where power vests with the Vice-Chancellor under Statutes 3.19.

Probation

6.20 (1) Every teacher shall be appointed on probation for a period of 12 months.

(2) The executive council may, for reason to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension in made. In no circumstances, the period of probation shall not be extended beyond 24 months;

Provided that the Executive Council may, for reasons to be recorded, waive the condition of probation.;

Provided further that, in case of Executive Council fails to take any action the teacher will stand confirmed after the period of probation.

Confirmation

6.21 (a) The Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation as the case may be by the Executive Council.

(b) the Registrar shall submit the list of teachers for confirmation to the Executive Council before the end of their period of probation or extended period of probation.

(c) the Executive Council may confirm the appointment of a teacher or extend the period of probation as per statute.

Resignation

6.22 A teacher may, at any time, resign by giving the Executive Council three months notice in writing through proper channel;

Provided that the Executive Council may waive the binding of notice period at its descretion.

Scale of pay

6.23 The scale of pay and allowances to various category of teachers shall be such as may be determined by the State Government from time to time.

6.24 Every teacher of the University shall be required to sign a written contract in the form set out in Appendix 'A'.

6.25 A teacher of the University shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall observe the code of conduct as set out in Appendix 'B'.

6.26 A breach of any of the provisions of the code of conduct as set out in Appendix 'B', shall be deemed to be misconduct within the meaning of clause (b) of sub-statute (1) of statute 6.27.

6.27 (1) The teacher shall be dismissed or removed from his office on the following grounds :–

(a) wilful neglect of duty;

(b) misconduct;

(c) breach of any of the terms of contract of service;

(d) dishonesty connected with University Examination;

(e) Scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitued;

(f) physical or mental unfitness;

(g) incompetence;

(h) abolition of the post.

(2) Except as provided by statute 6.22, not less than three

month's notice (or where notice is given after the month of October then three months's notice or notice ending with the close of the session, whichever is longer) shall be given or in lieu of notice, salary for three months (or such longer period as aforesaid) shall be paid;

Provided that where the University dismisses or removes or terminates the services of a teacher of the univesity under clause (1) or when the teacher terminates the contract for breach of any of its terms by the University, no such notice shall be neccessary;

Provided further that the parties will be free to waive the condition of notice in whole or in part by mutual agreement.

6.28 The original contract of appointment referred to in statute 6.24 shall be lodged with the Registrar for registration within three months from the date of appointment.

6.29 (1) No order dismissing or removing the services of a teacher of the university on any ground mentioned in Clause (1) of statute 6.27 (except in the case of a conviction for an offence involving moral turpitude or of abolition of post), shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the grounds on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity of,–

(a) submitting a written statement of his defence,

(b) being heard in person, if he so chooses,

(c) calling and examining such witnesses in his defence as he may wish;

Provided that the Executive Council or an officer authorised by it to conduct the inquiry may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call any witness.

(2) The Executive Council may, at any time ordinarily within two months from the date of the Enquiry officer's report pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service or terminating his services mentioning the ground of such dismissal, removal or termination.

(3) The resolution shall forthwith communicated to the teacher concerned.

(4) The Executive Council may, instead of dismissing or removing the services of the teacher, pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period not exceeding three years or by stopping increments of his salary for a specified period or may deprive the teacher of his pay during the period of his suspension, if any.

6.30 (1) The Disciplinary committee referred to in statute 5.50 may recommend the suspension of a teacher during the pendency or in contemplation of an enquiry against him, on the grounds mentioned in sub-clause (a) to (e) of Clause (1) of statute 6.27. The order of suspension if passed in contemplation of any inquiry shall cease at the end of four weeks of its operation unless the teachers has in the meantime been communicated the charge or charges on which the inquiry was contemplated.

(2) A teacher of the University shall be deemed to have been placed under suspension.–

(a) with effect from the date of his conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed or removed consequent to such conviction;

(b) in any other case, for the duration of his detention if he is detained in custody, whether the detention is for any criminal charge or otherwise.

Explanation–The period of 48 hours referred above shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where the order of dismissal or removal from service of a teacher of University is set aside or declared or rendered void in consequence of any proceedings under the Act or these Statutes or otherwise, and the appropriate officer, authority or body of the University decides to hold a further inquiry against him, then if the teacher was under suspension immediately before such dismissal or removal, the suspension

order shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal.

(4) During the period of his suspension, the teacher of the University shall be entitled to get subsistence allowance in accordance with the provisions of chapter VIII of part II of the U. P. Government's Financial Hand Book, Volume II (as amended from time to time).

6.31 In computing the maximum period for the purposes of sub-clause (2) of statute 6.29 or sub-clause (1) of Statute 6.30 the period during which a stay order from any court of law clause in operation, shall be excluded.

6.32 No teacher of the University shall draw for any duties performed in connection with any examination or examinations of the University in any calendar year, any remuneration in excess of one sixth of the aggregate of his salary in that calendar year or thirty thousand rupees, whichever is less.

6.33 Notwithstanding anything contrained in these statutes–

(a) A teacher of the University who is a member of Parliament or State Legislature shall not through out the terms of his membership hold any administrative or remunerative office in the University.

(b) If a teacher of the University is holding any administrative or remunerative office in the University from before the date of his election or nomination as a Member of Parliament or the State Legislature, then he shall cease to hold such office with effect from the date of such election or nomination whichever is later.

(c) The Executive Council shall fix a minimum number of days during which such teachers shall be available in the University for his academic duties;

Provided that where a teacher of the University in not so available because of the sessions of the Parliament or the State Legislature, he shall be treated on such leave, as may be due to him, and if no leave is due, then on leave without pay.

Career Advancement Scheme

6.34 A Lecturer in the University will be eligible for placement in Senior Scale. A Lecturer (Senior Scale) may move into the grade of the Lecturer (Selection Grade) or Reader, Minimum length of service for eligibility to move into the grade of Lecturer (Senior Scale) would be four years for those with Ph. D. degree five years for those with M. Phil. degree, Six years for others at the level of Lecturer and for eligibility to move into the Grade of Lecturer (Selection Grade)/Reader the minimum length of service as Lecturer (Senior Scale) shall be uniformly five years.

6.35 For promotion to the posts of Reader and Professors the minimum eligibilty criterion would be Ph. D. or equivalent published work.

6.36 Only a Reader with a minimum of eight years of service in that grade will be eligible to be considered for appointment as a Professor.

6.37 Selection Committee for Lecturer (Selection Grade), Reader and Professor shall be constituted under statute 6.07.

Senior Scale Constitutioin of Screening Committee

6.38 Placement in Senior Scale will be through a process of Screening Committee which shall consist of :–

(1) the Vice Chancellor	Chairman
(2) the Director of the School concerned	Member
(3) Two experts of the subject to be nominated by the Chancellor	Member
(4) the head of Department concerned	Member

Lecturer (Senior Scale)

6.39 A Lecturer will be eligible for placement in a senior scale through the procedure of selection, if she/he has :–

(a) Completed the requirement of statute 6.34, and

(b) Participated in one Orientation course and one refresher course each of three to four weeks duration or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality, as may be specified or approved by the University Grants Commission :

Provided that those Lecturers who have a Ph. D. Degree would be exempted from one Refresher Course, and

(c) Consistently satisfactory Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report.

Lecturer (Selection Grade)

6.40 Lecturers after completion of five years in the senior scale who do not have Ph. D. degree or equivalent published work and who do not meet the scholarship and research standards, but fulfil the other criteria for the post of Reader by Direct Recruitment given in these statutes, and have a good record in teaching and, preferably, have contributed in various ways such as to the corporate life of the institution, examination work or through extension activities and have completed two refresher courses each of at least three to four weeks duration will be placed in the selection grade subject to the recommendations of the Selection Committee which is the same, as for promotion to the post of Reader. They will be designated as Lecturers in the Selection Grade;

Provided that a Lecturer in the Selection Grade could offer himself/herself for fresh assessment after obtaining Ph. D. degree and fulfilling other requirements for promotion as Reader and if found suitable could be given the designation of Reader.

Reader (Promotion)

6.41 A Lecturer in the Senior Scale will be eligible for promotion to the post of Reader if she/he has :–

(a) completed 5 years of service in the senior scale;

(b) obtained a Ph. D. degree or has equivalent published work;

(c) made some mark in the areas of scholarship and research as evidenced by self-assessment, reports of referees, quality of publications, contribution to educational innovation, design of new courses and curricula and extension activities;

(d) participated in two refresher courses/summer institutes of three to four weeks duration after placement in the Senior Scale, or engaged in other appropriate continuing education programmes of comparable quality as may be specified or approved by the University Grants Commission;

(e) possesses consistently good Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report.

Constitution of Selection Committee

6.42 Promotion as Reader will be through a process of selection by a Selection Committee to be constituted in accordance in the provision of statute 6.07.

Professor (Promotion)

6.43 (1) In addition to the sanctioned position of Professors, promotions may be made from the post of Reader in the University to that of Professor after 8 years of service as Reader.

(2) For the promotion the candidate should present herself/himself before the Selection Committee with the following :–

(a) Consistently good Annual Academic Progress Report and Performance Appraisal Report.

(b) Research contribution, Books and Articles published.

The best three written contributions of the teacher (as defined by her/him) may be sent by the University in advance to the experts to review before coming from the selection. The candidate will have to submit these in three sets.

(c) Certificates of the Seminars or Conferences attended.

(d) Details of contributions to teaching or academic environment or institutional corporate life.

(e) Certificates of extension and field outreach activities.

EXPLANATION : The requirement of participation in orientation/refresher courses or summer institutes, each of at least 3 or 4 weeks duration, and consistently satisfactory Annual Progress Report and Performance Appraisal Report, shall be mandatory requirement for Career Advancement from Lecturer to Lecturer (Senior Scale) and from Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

The requirement for completing these courses would be as follows :–

(i) For Lecturer to Lecturer (Senior Scale) one

orientation course would be compulsory. Those without Ph. D. would be required to do one refresher course in addition.

(ii) Two refresher courses for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).

(iii) The Senior teachers like Lecturers (Selection Grade) and Readers may opt to attend two seminars or conferences in their subject areas and present papers as one aspect of their promotion or selection to higher level or attend refresher courses to be offered by Academic staff colleges for this level.

6.44 (1) If the number of years required in a feeder cadre are les than those stipulated here above, this entailing hardship to those who have completed more than the total number of years in their entire service for eligibility in the Cadre, may be placed in the next higher Cadre if found suitable by the Selection Committee after adjusting the total number of years.

(2) Counting of past service for the purpose of feeder cadre will be done in the following manner :–

Previous service, without any break as a lecturer or equivalent, in a University, College, National Laboratory, or other Scientific Organisations e.g. CSIR, ICAR, DRDO, UGC, ICSSR, ICHR and a UGC Research Scientist, should be counted for placement of lecturer in Senior Scale or Selection Grade provided that :

(i) the post was in an equivalent grade or scale of pay as the post of a Lecturer;

(ii) the qualification for the post were not lower than the qualifications prescribed by the University Grants Commission for the post of Lecturers;

(iii) the candidates who apply for direct recruitment should apply through proper channels;

(iv) the concerned Lecturers possessed the minimum qualifications prescribed by the University Grants Commission for appointment as Lecturers;

(v) the post was filled in accordance with the

prescribed selection procedure as laid down by the University or State Government or Central Government or Institution's regulations;

(vi) the appointment was not ad-hoeor in a leave vacancy of less than one year duration.

(vii) *Ad-hoc* service of more than one year duration can be counted provided–

(a) the ad-hoc service was of more than one year duration;

(b) the incumbent was appointed on the recommendation of duly constituted Selection Committee.

(c) the incumbent was selected to the permanent post in continuation to the *ad-hoc* service, without any break.

6.45 A teacher of the University who is eligible for career Advancement or Promotion shall submit his application in triplicate along with the Annual Academic Progress Report and the performance Appraisal Report containing information about his satisfactory work to the Registrar of the University through the Head of the Department.

EXPLANATION :

Satisfactory work shall mean the work done with reference to the work expected from a teacher of the University under the University statutes, ordinance or Regulations.

6.46 (1) The Selection Committee constituted under statuate 6.07 for Career Advancement/Promotion shall consider all relevant material and record required under the Statutes to be placed before it.

(2) The recommendations of screening/Selection Committee shall be submitted to the Executive council for decision. If the Executive Council does not agree with the recommendation made by the screening/Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and the Chancellor's decision shall be final. If the Executive Council

does not take a decision on the recommendation of the Screening/Selection Committee within a period of four months from the date of meeting of such Committee, then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

6.47 If an incumbent Lecturer/Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader (Promoted) is found suitable and recommended accordingly for promotion to the next higher Senior Scale/Selection Grade Reader/Professor by the duly constituted Screening/Selection Committee at the first instance, the next higher grade would be admissible to him from the date of eligibility, but the designation (if any) shall be given to him from the date of taking over charge.

6.48 In case the incumbent is not found suitable under statute 6.47 in the first instance, he may offer himself again for such promotion after every one year, and he shall be considered by the Screening/Selection Committee along with other candidates who have since become eligible. If he is recommended for promotion in the second or subsequent attempts he will be given the grade as well as the designation (if any), from the date of taking over charges as Lecturer in Senior Scale/Lecturer in Selection Grade/Reader (Promotion)/ Professor (Promoted), as the case may be.

6.49 Such posts of Readers or Professor, to which promotion is made, shall be deemed to be in addition to the cadre of reader or Professor as the case may be upto the date of retirement of the incumbent, and thereafter the post will revert back to its original.

6.50 No selection of any teacher of the University through the duly constituted Selection Committee for making appointment/promotions to teaching post by direct recruitment or by personal promotion or by Career Advancement prior to the coming into force of the present statutes, having had the then requisite minimum qualification as was prescribed at that time shall be affected by the present statutes.

6.51 (1) The majority of the total membership of the screening/Selection Committee shall form the quorum of the Committee but the presence of the Chairman and at least one expert shall be necessary.

(2) No recommendation made by the Screening/Selection Committee shall be considered to be valid unless one of the experts has agreed to the selection.

6.52 Members of the Selection Committee shall be given not less than 15 days notice of the meetings reckoned from the date of dispatch of such

notice. The notice shall be served either personally or by registered post.

6.53 As least 15 days notice reckoned from the date of dispatch shall be given to the candidates prior to the meeting of the Selection Committee. The Notice shall be served either personally or by registered post.

6.54 The work load of such Lecturer placed in Selection Grade or promoted as Reader or Professor under Career Advancement Scheme shall remain unchanged.

(a) The recommended pay scales of the University Grants commission to the Librarian/Deputy Librarian/Assistant Librarian of the University working in related positions as full time/duly appointed regular post holders who meet the prescribed eligibility requirements of UGC, shall be admissible from 1.1.1996. These post holders on holding the prescribed eligibility of UGC shall be covered under Career Advancement Scheme.

(b) Superannuation age of Assistant Librarian/Deputy Librarian/Librarian of the University will be 62 years

Seniority of the teacher

6.55 The Statutes contained in this Chapter shall not affect the *inter-se* seniority of teachers employed in the University from before the commencement of these Statutes.

6.56 Is shall be duty of the Registrar to prepare and maintain, in respect of each category of teachers of the University, a complete and up to date seniority list in accordance with the provisions hereinafter appearing.

6.57 The seniority among Directors of Schools shall be determined by the length of the total period of service they have put in as Directors of Schools;

Provided that when two or more Directors have held the said office for equal length of time, the Directors who is senior in age shall be considered to be senior for the purpose of this chapter.

6.58 The seniority among Heads of Department of Schools shall be determined by the length of the total period of service they have put in as Heads of Department;

Provided that when two or more Heads of Department have held the said office for equal length of time, the Head of Department who is senior in age shall be considered to be senior for the purpose of this Chapter.

6.59 The following rules shall be followed in determining the seniority of teachers of the University.

(a) A Professor shall be deemed senior to every Reader and a Reader shall be deemed senior to every Lecturer;

(b) In the same cadre, *inter-se seniority* of teachers, appointed by promotion or by direct recruitment, shall be

determined according to the length of continuous service in such cadre.

Provided that where more than one appointments have been made by direct recruitment at the same time and an order of preference or merit was indicated by the Selection Committee or by the Executive Council, as the case may be, the *inter-se seniority* of persons so appointed shall be governed by the order so indicated;

Provided further that when more than one appointments have been made by promotion at the same time, the *inter-se seniority* of the teachers so appointed shall be the same as it was in the post held by them at the time of promotion.

(c) When any teacher holding substantive post in University (other than the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University) or in any constituent college or in any Institute of such University whether in the Sate of Uttar Pradesh or outside Uttar Pradesh, is appointed to a post of corresponding rank or grade in the University the period of service rendered by such teacher in that grade or rank in such University be added to his length of service.

(d) When any teacher holding substantive post in any college affiliated to or associated with a University other than the Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University is appointed whether before or after the commencement of these Statutes as a Lecturer in the University, then one half of the period of substantive service rendered by such teacher in such college shall be added in his length of service.

6.60 Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service in the cadre to which they belong, the relative seniority of such teachers shall be determined as below :–

(i) in the case of Professor, the length of substantive service as Reader shall be taken into consideration.

(b) in the case of Readers, the length of substantive service as Lecturer shall be taken into consideration.

(c) in the case of Professor, whose length of service

as Reader is also identical the length of service as Lecturer shall be taken into consideration.

6.61 Where more than one teacher are entitled to count the same length of continuous service and their relative seniority cannot be determined in accordance with any of the foregoing provisions, then the seniority of such teachers shall be determined on the basis of seniority in age.

6.62 (1) Notwithstanding anything contained in any other Statute, if the Executive council :–

(a) agrees with the recommendation of the Selection committee and approves two or more persons for appointment as teachers in the same department it shall, while recording such approval, determine the order of merit of such teachers;

(b) does not agree with the recommendations of the Selection Committee and refers the matter to the Chancellor under statute 6.10, the Chancellor shall, in case where appointment of two or more teachers in the same department is involved, determine the order of merit of such teachers at the time of deciding such reference.

(2) The order of merit in which two or more teachers are placed under clause (1), shall be communicated to the teachers concerned before their appointment.

6.63 (1) The Vice-Chancellor shall, from time to time, constitute one or more Seniority Committees consisting of himself as Chairman and two Directors of Schools to be nominated by the Chancellor;

Provided that the Director of School to which the teacher (whose seniority is in dispute) belong shall not be a member of the aforesaid Seniority Committee;

Provided further that if Directors are not available due to non-appointment or non-creation of posts, Chancellor may nominate two Professors from the University or outside.

(2) Every dispute about the seniority of teacher of the University shall be referred to the Seniority Committee, which shall decide the same giving reasons for the decision.

(3) Any teacher aggrieved by the decision of the Seniority Committee may prefer an appeal to the Executive Council within sixty days from the date of communication of such decision to the teacher concerned. If the Executive Council disagrees with the Committee, it shall give reasons for such disagreement.

Leave Rules for Teachers

6.64 Leave shall be of the following categories :

(a) casual leave,
(b) Privilege leave,
(c) duty leave,
(d) long leave,
(e) extraordinary leave.
(f) maternity and child care leave, and
(g) sick leave.

6.65. (1) Casual leave shall be granted on full pay for not exceed seven days in a month or fourteen days in a year and shall not be accumulated. This leave shall not be clubbed with holidays However, in special circumstances the Vice Chancellor, stating the reasons in writing, may waive this condition.

(2) Physically handicapped employees working in the University may be allowed to take special casual leave for not more than 10 days in a calendar year to participate in Seminars/Symposia/Trainings/Workshops organized by National and State level agencies in addition to normal casual leave.

6.66 Privilege leave shall be on full pay for ten working days in a session and may accumulate upto sixty working days.

6.67 Duty leave fifteen working days shall be on full pay for attending meeting of any of the University bodies, adhoc Committees and Conferences of which a teacher may be ex-officio member or to which he may have been nominated by the University and for conducting examination of the University.

6.68 Long term leave, which shall be on half pay for one month in a session, and may accumulate up to twelve months, may be granted for reasons such as prolonged illness, urgent affairs, approved studies or preparatory to retirement;

Provided that in case of prolonged illness, the leave may, at the discretion of Executive Council, be on full pay for a period not exceeding six months. Such leave can be granted only after five years of continuous service except in the case of prolonged illness;

Provided further that such teachers as are selected for the Teacher fellowships by the University Grants Commission or Distance Education Council or any agency under Central or State Government or for training or study in a foreign country under other schemes sponsored by University Grants Commission, Distance Education Council, the University or an agency under Central or State Government may be granted leave on full pay for the duration of such fellowhip, training or study on such terms and conditions as may be specified by the Executive Council.

6.69 Extraordinary leave shall be without pay. It may be granted for such reasons as the Executive Council may deem fit for a period not exceeding three years initially but may be extended for a period not exceeding two years under special circumstances except in the circumstances mentioned in statute 6.33.

Explanation–

(1) A teacher who holds a permanent post or who being permanent on a lower post has been officiating on a higher post for more than three years, shall subject to the concurrence of the State Government, be entitled to count the period of extraordinary leave sanctioned for undertaking higher scientific and technical studies towards his increment in the time scale.

(2) Subject to the concurrence of the State Government, a teacher who holds a temporary post and has been sanctioned, such leave shall, on return from such leave be entitled to get his pay fixed in accordance with Fundamental Rule 27 of the Financial Hand book, Volume II to Volume IV at such stage in the time scale as he would have got had he not proceeded on such leave provided that the study for which such leave was santioned was in the public interest.

6.70 (1) Maternity leave on full pay may be granted to a permanent women employee for a period not exceeding 180 days, to be availed twice in the entire carrer. Maternity leave may also be granted in case of miscarriage including abortion, subject to the condition that the total leave granted in respect of this to a woman employee in her career is not more than 45 days, and the application for leave is supported by a medical certificate.

(2) Women employees having minor children may be granted Child Care Leave upto two years for taking care of their minor children. The leave shall be regulated by the same terms and conditions as are applicable to the State Government employees from time to time.

(3) In the event of doubt the applicability of the leave, the decision of the State Government shall be final.

6.71 Leave cannot be claimed as a matter of right. If the exigencies of the occasion demand, the sanctioning authority may refuse leave of any kind and may even cancel the leave already granted.

6.72 Sick leave or long term leave on account of prolonged illness can be granted on the production of a medical certificate from a registered medical practitioner. In a case of such leave exceeding 14 days the Vice-Chancellor shall be competent to call for a second certificate of a Registered Medical Practitioner approved by him.

6.73 The authority competent to grant leave will be the Vice-Chancellor except in the case of long term leave and extraordinary leave, which will be granted by the Executive Council.

Age of Super annuation

6.74 The age of superannuation of a teacher of the University shall be sixty years.

Provided that a teacher whose date of superannuation does not fall on June 30 shall continue in service till the end of the academic session, that is, the June 30 following and will be treated as on re-employment from the date immediately following his superannuation till june 30.

6.75 The date of retirement of a teacher of the University shall be the date immediately proceeding the 60th birthday of such teacher.

Other Provisions

6.76 Any contract of appointment between a teacher and University entered into before the commencement of these Statutes shall be subject to the provisions of the Statutes contained in the Chapter, and shall be deemed to be modified in accordance with the provisions of this chapter and in accordance with the terms contained in the form set out in Appendix 'A' and Appendix "B'.

6.77 A teacher dismissed on any of the grounds mentioned in clause (b), clause (c), clause (d) or clause (e) of Clause (1) of statue 6.27 shall not be re-employed in the University in any capacity.

6.78 (1) Every teacher of the University shall prepare, in duplicate his Annual Academic Progress Report. The original report shall be lodged with the Vice-Chancellor and the copy thereof shall be retained by the teacher himself.

(2) The original report shall, before being lodged with the Vice-Chancellor be countersigned in the case of teachers other than the Director by the Director concerned.

(3) The report in respect of an academic session shall be lodged by the end of July following the said session, or within one month from the close of the session, whichever is later.

6.79 Every teacher of the University shall be bound to comply the directions of the officers and authorities of the University in connection with the examination conducted by the University.

6.80 Where under the provision of the Act or these Statutes or the Ordinances, a teacher is required to be served with any notice and such teacher is not in station, the notice may be sent to him by registered post at his last known address.

CHAPTER – VII

Terms and conditions of service of employees (other than teachers) section 26(d)

Librarian

7.01 The University may with the prior approval of the State Government, appoint a whole time Librarian.

7.02 The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of selection committee, consisting of the following namely :–

(a) The Vice-Chancellor-Chairman;

(b) two experts in Library Science to be nominated by the Chancellor-Member.

(2) Until the Librarian appointed under clause assumes charge of his office the Executive Council may appoint an Honorary Librarian from amongst the professors of the University for such terms as it thinks fit.

7.03 The qualifications of the Librarian shall be such as

may be from time to time prescribed by the University Grants Commission.

7.04 The emoluments of the Librarian shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

7.05 It shall be the duty of the Librarian to maintain the Library of the University and to organise its service in the manner most conductive to the interest of teaching and research.

7.06 The Librarian shall be under the disciplinary control of the Vice-Chancellor :

Provided that he shall right of appeal to the Executive Council against any order of Vice-Chancellor passed in the disciplinary proceedings against him.

7.07 the other conditions of service of the Librarian shall such as may be laid down in the Ordinances.

7.08 (1) The appointment and terms and conditions of service and code of conduct of other officers and non-teaching staff shall be governed by the procedure of appointment, terms and conditions of the service and the code of conduct as may be laid down in the Ordinances.

(2) The emoluments of the officers and employees referred to in clause (1) shall be such as may be determined from time to time by the State Government.

CHAPTER – VIII

Conferment and withdrawal of Degrees and Diplomas- Section 5(iv)

Conferment of Honorary Degrees

8.01 (1) the Degree of doctor of Literature (D. Litt.) or Mahamahopadhyaya, Honoris Causa may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement of Literature, Philosphy, Arts, Music, Painting or any other subject assigned to the Faculty of Arts or for conspicous service rendered by them to the cause of education.

(2) the degree of Doctor of Science (D. Sc.) Honoris Causa, may be conferred upon such persons as have

contributed substantially to the advancement of any branch of science or technology or planning organising or developing scientific and technological institutions in the country.

(3) The Degree of Doctor of Law (L.L.D.) Honoris causa may be conferred upon persons, who are distinguished lawyers, judges, jurist, stateman or have noteworthy contribution of the public good.

8.02 The Executive Council may, *sou moto* or on the recommendation of Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two thirds of the members present and voting submit a proposal for conferment of honorary degree of the Chancellor for confirmation :

Provided that no such proposal shall be submitted in respect of a person who is a member of any authority or body of the University.

8.03 Before taking any action for the withdrawal of any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registered post and the person concerned shall be required to submit his explanation withing a period of not less than fifteen days of receipt of the charges.

8.04 Every proposal for the withdrawal of any honorary degree shall require previous sanction of the Chancellor.

CHAPTER – IX

Recognition of an institution of the higher learning- Section 5(xxi)

9.01 (1) An institution may be recognised by the Executive Council on the recommendation of the Recognition Committee as an institution where teaching or research may be carried on in the fulfillment of the requirements of section 5(ii) and (iii) of the Act after it has been recommended by the Academic council with the concurrence of the Board of School

concerned. The recognition so granted may be withdrawn by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council made with the concurrence of the Board of the School concerned.

(2) the Management of the Institution so recognised shall vest in :–

(a) A committee of management or other equivalent body, appointed by the person or the body maintaining the Institution, the constitution of which shall be reported to the Executive Council;

or

(b) A director appointed by the person or the body maintaining the institution.

(3) Research work in a recognised institution may be guided by the Director and other teachers of the Institution who may be recognised as Supervisors or Advisors for the D. Litt. or D. Sc. or L.L.D. or D. Phil. Degree of the University.

(4) the Director and other teachers of the Institution, if they so agree, may deliver a course of advance lectures to research students of the University with the consent of the Head of the Department concerned.

(5) Any person having requisite qualifications desirous of carrying on research work at the Institution for research degree of the University shall make an application to the Registrar through the director of the Institution. The applications so received shall be placed before the Research Degree Committee of the University constituted under Ordinances and, if approved by the Committee, the applicant shall be permitted to start work on payment of such fees as may be prescribed by the Ordinances.

CHAPTER – X
CONVOCATION–Section 26(k)

10.01 (1) A convocation for conferring its Degrees, Diplomas, Certificates and other academic distinctions may be held by the University not more than once in a year on such date and at such time as the Executive Council may

appoint in this behalf.

(2) A special convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.

(3) The convocation shall consist of the persons specified in sub-section (3) of Section-3 as constituting the body corporate of the University.

10.02 A local convocation may be held at each institution or study centre on such date and such time as the Principal may with the prior approval of the Vice-Chancellor in writing, appoint.

10.03 Combined convocation may be held for two or more institutions or study centres in the manner prescribed in Statute 10.02.

10.04 The procedure to be observed at the convocation referred to in this Chapter and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the Ordinances.

10.03 Where the University, or any institution or study centre does not find it convenient to hold the convocation, the degree, diploma and other academic distinction may be dispatched to the candidates concerned by registered post.

CHAPTER – XI
SURCHARGE–(SECTION 32)

11.01 In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context–

(1) "Examiner" means the Examiner, Local Fund Account, Uttar Pradesh.

(2) "Government" means the Government of Uttar Pradesh.

(3) "Officer of the University" means an officer mentioned in any of the clauses (b) to (h) of section-9 of the Act and the Officers declared as such under these Statute.

11.02 (1) In any case where the Examiner is of the

opinion that there has been a loss, waste or misapplication, which includes misappopriation or unjustifiable expenditure, of any money or property of the University as a direct consequence of neglect or misconduct of an officer, he may call upon the officer to explain in writing why he should not be surcharged with the amount of such loss, waste or misapplication of money or the amount which represents the loss, waste or misapplication of property and such explanation will be furnished within a period not exceeding two months from the date such requisition is communicated to the person concerned :

Provided that explanation from any of the officers other than the Vice-Chancellor shall be called for through the Vice-Chancellor.

Note–(1) Any information required by the Examiner, or by a person appointed by him for the purpose, for preliminary inquiry shall be furnished and all connected papers and records shown to him by the officer (or if such information, papers or records are in possession of a person other than the said officer, by such person) within a reasonable time not exceeding two weeks.

(2) Without prejudice to the Generality of the provisions contained in clause (1) the Examiner may call for the explanation in the following cases :–

(a) Where expenditure has been incurred in contravention of these Statutes or the Act or the Ordinance or the regulations made thereunder;

(b) Where loss has been caused by acceptance of a higher tender without sufficient recorded reasons;

(c) Where any sum due to the University has been remitted in contravention of the provisions of these Statutes, the Act, Ordinances or the regulations made thereunder.

(d) Where loss has been caused to the University by nelglect in realising its dues;

(e) Where loss has been caused to the funds or

property of the University on account of want of reasonable care for the custody of such money or property.

(3) On the written requisition of the officer whom an explanation has been called the Unversity shall give him necessary facilities for inspection of the connected records. The examiner may, on an application from the officers concerned, allow a reasonable extension of time for submissinon of his explanation if he is satisfied that the officer charged has been unable for reasons beyond his control to inspect the connected records for the purpose of furnishing his explanation.

Explanation–Making of an appointment in contravention of the Act or the Statutes or Ordinance made thereunder shall amount to misconduct and payments to the person concerned of salary or other dues on account of such irregular appointment will be deemed to be a loss, waste or misapplication of University money.

11.03 After the expiry of the period prescribed and after considering the explanation, if received within time, the Examiner may surcharge the officer with the whole or a part of the sum for which such officer may in his opinion be liable;

Provided that in case of loss, waste or misapplication accuring as result of neglect or misconduct of two or more officers each such officer shall be jointly and severally liable;

Provided also that no officer shall be liable for any loss,waste or misapplication after the expiry of ten years from the occurance of such loss, waste or misapplication or after the expiry of six years from the date of his ceasing to be such officer whichever is later.

11.04 An officer aggrieved by an order of surcharge passed by the Examiner may prefer an appeal to the Commissioner of the division in which the University is situated within thirty days from the date on which such order is communicated to him. The Commissioner may confirm, rescind or vary the order passed by the Examiner or may pass such order as he thinks fit. The order so passed shall be final, and no appeal shall lie against it.

11.05 (1) The officer who has been surcharged shall pay the amount of surcharge within sixty days from the date on which such order is communicated to him or within such further time, not exceeding one year, from the said date as may be permitted by the Examiner:

Provided that where an appeal has been preferred under statute 11.04 all proceedings for recovery of the amount from the person who has preferred the appeal may be stayed by the Commissioner until the appeal has been finally decided.

(2) If the amount of surcharge is not paid within the period specified in clause (1) it shall be recoverable as arear of land revenue.

11.06 Where a suit is instituted in a court to question an order of surcharge and the Examiner or the State Government is a defendant in such a suit, all costs incurred in defending the suit shall be paid by the university and it shall be the duty of the University to make such payment without any delay.

CHAPTER – XII
ANNUAL REPORT–SECTION 30(2)

12.01 the Annual Report of the University for a financial year prepared in accordance with Section 30 of the Act shall be submitted to the Chancellor on or before September 30 of every calendar year.

CHAPTER – XIII
ORDINANCES AND REGULATIONS–Section 28 and Section 29

Framing of Ordinances

13.01 All Ordinances, except the first, shall be made by the Executive Council.

13.02 Save as otherwise provided in this statute, the Executive Council may, from time to time, make new or additional ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in statute 13.01;

Provided that no Ordinance shall be made, amended or repealed,–

(a) affecting the admission of students, or prescribed

examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications for admission to the various programmes of the University;

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of Schools concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(c) affecting the number, qualifications and emolumnets of the teachers of the University or the income or expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.

13.03 The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under clause (b) of the proviso to statute 13.02 but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments which the Executive Council may suggest.

13.04 All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

13.05 The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to statute 13.02 and from the date of receipt by Executive Council of intimations of such disallowance, such Ordinances shall become void.

13.06 The Chancellor may direct that the operation of any ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to statute 13.02 shall be suspended untill he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this statute shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

Framing of Regulations

13.07 Subject to hte provisions of the Act, the Statutes the and the Ordinances, an authority of the University may make Regulations–

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to from the quorum;

(b) providing for all matters which are required by the Act, the Statutes or the Ordinances to be prescribed by Regulations.

13.08 the Regulations made by an authority of the University shall also provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted there at and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.

13.09 the Executive Council may direct any authority of the University to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulations made by such authority of body and such authority shall there upon counsell or amend the Rgulations accordingly;

Provided that any authority of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor who may, after obtaining the views of the Executive Council, pass such orders as he thinks fit.

13.10 The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinance, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of the School concerned has proposed a draft of the same.

13.11 the Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of School under statute 13.10, but may return it to the Board for further consideration together with own suggestions.

CHAPTER – XIV

Employment of the Dependent of Deceased Employees of the University

14.01 Where a confirmed employee or an employee, who had been holding a temporary post continuously for not less than three years, dies while in service, one dependent of the deceased cmployee, who applies for a vacant non-teaching

post in the University and possesses minimum educational Qualification for such post, may with the prior approval of the Vice-Chancellor, be appointed, by the Registrar in relaxation of the procedure for selection and maximum age limit.

Explanation—For the purpose of this Statute—

(1) 'dependant' means the son, unmarried or widowed daughter, widow or the widower of the deceased;

(2) 'employee' includes a teacher imployed in the University.

By order,
SATISH KUMAR AGARWAL
Pramukh Sachiv.

APPENDIX 'A'
(*See* Statutes 6.24 and 6.28)
FORM OF AGREEMENT WITH MEMBERS OF TEACHING STAFF OF THE UNIVERSITY

Agreement made this.....day of.....2000, between Sri.....of first part and the University of..... (hereinafter called "the University" of the other part :

It is hereby agreed as follows :

1. That the University hereby appoints Shri/Shrimati/Km.....to be a teacher of the University with effect from the date party of the first part takes chaege of the duties of his/her office, and the part of the first part hereby accepts the engagement, and undertakes to take such part, and perform such duties in the University as may be required of his/her, including the management and protection of the University property of funds, the organisation of instruction the teaching formal or informal and the examinations of students, the maintenance of discipline and her promotion of student's welfare in connection with any curricular of residential activities and perform such extra curricular duties of the

University as may be entrusted to him/her and to submit himself/herself to the officers under whom he/she is for the time being placed by the authorities of the University and shall abide by and confirm to the Code of Conduct for teachers laid down the University as amended from time to time:

Provided that the teacher shall be on probation for a period of one year in the first instance and the Executive Council may in its discretion extended the period of probation by one year.

2. that the part of first part shall retire in accordance with the provisions of the Statutes of the University.

3. The scale of pay attached to the post of teacher to which the part of the first part is appointed shall be.....the party of the first part shall from date he/she takes charges of his/her said duties be granted pay at the rate of Rs.....per menses in the aforesaid scale and shall receive pay in succeeding stages in the scale unless the annual increment is without in pursuaance of the provisions of the Statutes :

Provided that where an efficiency bar is prescribed in the time scale, the increment next above the bar shall not be given to the part of the first part without the specific sanction of the authority empowered to without increment.

4. That the part of the first shall obey, and to the best of his/her ability carry out the lawful directions of any officer, authority or body of the Univerrsity, to whose authority he/she may while this agreement is in force, is subject under the Provisions of the said Act, or under an Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder.

5. That the party of the first part hereby undertakes to abide by and confirm to the Code of Conduct lay down for the teachers; by the University, as amended from time to time.

6. That on the termination of this agreement from whatever cause the party of the first part shall deliver up to the University all books, apparatus, record and other articles belonging to the University that may be in his possession.

7. In all matters, the mutual rights and obligations of the parties hereto shall be governed by the Statutes and Ordinances of the University, for the time being in force, which shall be deemed to be incorporated herein and shall be as such a part of this agreement as if they were reproduced

herein, and by the provisions of Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University Act, 1999.

In witness whereof the parties hereto affix their hands and seal on the day year first above written.

....

Signature of the Teacher Signature of the Finance Officer representing the University

Witness :

1. .....

2. .....

APPENDIX 'B'

(*See* Statutes 6.25 and 6.26)

CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS

Where a teacher, conscious of his responsibilities and trust placed in him to mould the character of the youth and to advance knowledge, intellectual freedom and social progress, is expected to realies that he can fulfill the role of moral leadership more by example that by precept through a spirit of dedication, moral integrity and purity in thought, word and deed :

Now, therefore, in keeping with the dignity of his calling, this code of conduct is hereby laid down by the truly and faithfully observed :

(1) Every teacher shall perform his academic duties with absolute integrity and devotion.

(2) No teacher shall show any partiality or bias in the assessment of the student nor shall be practice victimisation against them.

(3) No teacher shall incite one student against another or against his colleagues or the Alma mater.

(4) Not teacher shall discriminate against any pupil on grounds of caste, creed, sect, religion, sex, nationality or language. He shall also discourage such tendencies, amongst his colleague's subordinates and students, and shall not try to use the above considerations for the improvement of his own prospects.

(5) No teacher shall refuse to carry out the decision of the appropriate bodies and functionaries of the University.

(6) No teacher shall divulge any confidential information relating to the affairs of the University to any person not authorised in respect thereof.

(7) No teacher shall run any other business part-time home teaching (tuition) and coaching classes.

(8) The teachers shall remain available to the students for necessary assistance and guidance evern after the classes without any remuneration.

(9) With a view to complete the educational programme, a teacher shall take leave only in unavoidable circumstances with the prior permission as far as possible.

(10) The teachers shall remain engaged in developing his/her academic achievements by a continuous study, research and training.

(11) Every teacher shall provide assistance in the University in educational responsibilities e.g., in admission, helping and counselling to students, conducting of examination, invigilation, supervision, evaluation of answer books, teaching and other curricular activities of the University.

(12) As per the ideals of democracy, patriotism and peace, teachers shall create the feeling of respect among students towards scientific temperament and physical labour.

By Order,
B. D. Joshi,
Joint Secretary.